भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20 अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

वाणिज्यिक सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) प्रदान करने के लिए लाइसेंस करार

(मौजूदा लाइसेंस के अंतरण हेतु तथा नए लाइसेंस को जारी करना)

सेवा में.....में
पुराना सं0.....दिनांक
नया सं0.....दिनांक

कुल पृष्ठ.....69

सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस)
हेतु
लाइसेंस करार

यह करार.....(दिन).....(महीना).....वर्ष को बतौर प्रथम पक्ष निदेशक (सीएस-I), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति (जिसे इस करार में इसके पश्चात "लाइसेंसप्रदाता" कहा जाएगा)

तथा

बतौर द्वितीय पक्ष के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री..... के माध्यम से कार्य कर रही कंपनी मैसर्स..... जो 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है तथा जिसका कार्यालय..... में है (जिसे इस करार में इसके पश्चात् लाइसेंसधारी कहा जाएगा जिसका आशय व्यवसाय से संबंधित इसके उत्तराधिकारी, प्रशासकों, परिसमापकों तथा समनुदेशितों या कानूनी प्रतिनिधियों से भी होगा, यदि करार में उल्लिखित विषय-वस्तु के प्रतिकूल एवं से भिन्न कुछ न हो)

के बीच एवं द्वारा निपादित किया जाता है।

जबकि भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा (4) के उपबंधों के तहत, लाइसेंसप्रदाता के पास लाइसेंस प्रदान करने का विशेषाधिकार है तथा लाइसेंसधारी ने एनालॉग/डिजिटल मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (पीएमआरटीएस) को उपलब्ध कराने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है तथा इसके पश्चात् एवं उक्त अनुरोध के आधार पर लाइसेंसप्रदाता लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र में (जिसके बारे में यहाँ संलग्न अनुसूची-I में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है) एनालॉग/डिजिटल मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा की उपलब्धता कराने हेतु इस लाइसेंस को प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

अब इस करार में उल्लिखित तथ्य निम्नानुसार हैं :

1. लाइसेंस शुक्ल के भुगतान तथा इस लाइसेंस करार में उल्लिखित सभी शर्तों का लाइसेंसधारक द्वारा उपयुक्त निष्पादन किए जाने के मद्देनजर, लाइसेंसप्रदाता भारतीय तार अधिनियम 1855 की धारा 4 के तहत, गैर-अनन्य आधार पर, **लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एनालॉग/डिजिटल मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा को स्थापित एवं प्रचालित करने हेतु** इस लाइसेंस को प्रदान करता है, जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची -I में उल्लिखित है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त लाइसेंस प्रभावी तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा, यदि पहले किसी भी कारणवश रद्द नहीं किया गया हो।

3. लाइसेंसधारक इस लाइसेंस करार में तथा इसके साथ परिशिट के रूप में संलग्न अनुसूची-II में अधिक स्पष्ट रूप से उल्लिखित सभी शर्तों को बिना किसी परिवर्तन या आपत्ति के पूर्णतः अनुपालन करने के लिए एतद्द्वारा सहमत है तथा स्पष्ट रूप से वचन देता है।

4. इस लाइसेंस की प्रभावी तिथि.....होगी ।

5. यह लाइसेंस समय-समय पर यथा आशोधित भारतीय तार अधिनियम,1885, भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार शासित होगा।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, दोनो पक्ष.....(दिन)..... (महीना).....(वर्ष) को अपने-अपने संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस करार को एतद्द्वारा निपादित करती हैं।

(नाम एवं पदनाम).....

भारत के राट्रपति के लिए और की ओर से हस्ताक्षरित

कंपनी मैसर्स.....की ओर से इसके आम मुख्तारनामा के धारक तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ..... द्वारा दिनांक..... को करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे दिनांक..... को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संकल्प सं0..... के अनुसार निष्पादित किया गया है।

निम्नलिखित लोग इसके गवाह हैं :

1. हस्ताक्षर
   नाम
   पेशा
   पता
   स्थान

2. हस्ताक्षर
   नाम
   पेशा
   पता
   स्थान

विषय-सूची

अनुसूची- I	**सेवा क्षेत्र की अनुसूची**	**पृष्ठ संख्या**
अनुसूचीः II	**निबंधन और शर्तें**	

भाग-I सामान्य शर्तें

शर्त 1: लाइसेंसधारक कंपनी का स्वामित्व
शर्त 2: लाइसेंस का विस्तार क्षेत्र
शर्त 3: लाइसेंस की अवधि
शर्त 4: लाइसेंस की शर्तों में आशोधन
शर्त 5: लाइसेंस के अंतरण पर प्रतिबंध
शर्त 6: सेवा प्रदान करना
शर्त 7 सेवा की सुपुर्दगी
शर्त 8: सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता
शर्त 9: लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण अथवा समाप्ति
शर्त 10: लाइसेंस को समाप्त करने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई
शर्त 11: बाध्यकारी उपाय
शर्त 12: सेट ऑफ क्लॉज
शर्त 13: वे लीव
शर्त 14: सामान्य

भाग II वाणिज्यिक शर्तें
शर्त 15: प्रशुल्क
शर्त 16 : टेलीफोन सेवा निर्देशिका का प्रकाशन

भाग III वित्तीय शर्तें

शर्त 17: देय शुल्क
शर्त 18: " समायोजित एकल राजस्व" की परिभाषा
शर्त 19: वार्षिक लाइसेंस शुल्क और अन्य बकायों के भुगतान की अनुसूची
शर्त 20: बैंक गांरटी
शर्त 21: लेखाओं की तैयारी

भाग IV तकनीकी शर्तें
शर्त 22: तकनीकी शर्तें

शर्त 23: लागू व्यवस्था
शर्त 24: इंजीनियरिंग ब्योरा
शर्त 25: नेटवर्क अंतर्संयोजन
शर्त 26: इंटरफेस
शर्त 27: निष्पादन की गुणवत्ता
शर्त 27: आपातकालीन और लोक उपयोगी सेवाएं

भाग V प्रचालन शर्तें

शर्त 29: ग्राहक सेवा
शर्त 30: उपभोक्ता टर्मिनल (मोबाइल टेलीफोन या हैंडसेट)
शर्त 31: लाइसेंसधारी पर लागू दायित्व
शर्त 32: निरीक्षण और संस्थापना की जांच

भाग VI सुरक्षा शर्तें

शर्त 33: निरीक्षण का अधिकार
शर्त 34: स्विचों की अवस्थिति
शर्त 35: सूचना की गोपनीयता
शर्त 36: लाइसेंसधारी के कतिपय कार्यों का निषेध
शर्त 37: सुरक्षा संबंधी शर्तें
शर्त 38: भारतीय तार अधिनियम का अनुप्रयोग

भाग VII डब्ल्यूपीसी स्कंध का लाइसेंस
शर्त 39: डब्ल्यूपीसी स्कंध का लाइसेंस

अनुबंध-I महानगर/सर्किल सेवा क्षेत्र के ब्यौरे

अनुबंध-II शपथ-पत्र के लिए प्रारूप

अनुबंध-II क राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण का आरूप
अनुबंध- III राजस्व और लाइसेंस शुल्क की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का आरूप
अनुबंध - IV वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी हेतु मानदंड

अनुबंध- V वित्तीय बैंक गारंटी के लिए प्रारूप
अनुबंध- VI त्रिपक्षीय करार
अनुबुंध- VII शर्तों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषा

अनुसूची- I

सेवा क्षेत्र की अनुसूची

1.0 सेवा क्षेत्र : (नोटः संबंधित लाइसेंस करार में लिखे जाने हेतु केवल संगत भाग)

इस लाइसेंस को प्रदान किए जाने वाले सेवा क्षेत्र का ब्यौरा निम्नवत है :

सेवा क्षेत्र

1.1 लाइसेंस का सेवा क्षेत्र लाइसेंस करार के अनुरूप होगा। क्षेत्र की भौगोलिक सीमा अनुबंध-I में विशेष रूप से उल्लिखित महानगर/सर्किल सेवा क्षेत्र के भीतर होगी।

1.2 सर्किल सेवा क्षेत्र हेतु फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम के आवंटन पर सर्किल के संपूर्ण सेवा क्षेत्र में उपलब्ध स्पैक्ट्रम के अध्यधीन विचार किया जाएगा तथा कुछ चैनल संपूर्ण सर्किल सेवा क्षेत्र के सभी अवस्थितियों में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

1.3 शहर सेवा क्षेत्र से सर्किल सेवा क्षेत्र में अंतरण होने पर पीएमआरटीएस लाइसेंसधारी के लिए इंट्रासिटी एवं इंटरसिटी संपर्कता के लिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसियों की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी फ्रीक्वेंसियों का आवंटन मौजूदा प्रयोक्ताओं के साथ सकल राजस्व एवं उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

1.4 सेवा क्षेत्र की भौगोलिक सीमा के बारे में किसी प्रकार का विवाद होने पर, लाइसेंसप्रदाता से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगी जा सकती है तथा उसके द्वारा इस संबंध में दिया गया निर्णय लाइसेंसधारी के लिए बाध्यकारी होगा।

अनुसूची-II : निबंधन और शर्तें

भाग- I सामान्य शर्तें

1. लाइसेंस कंपनी का स्वामित्व

1.1 सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत निम्न शर्तों के अध्यधीन की गई है।

(i) लाइसेंसधारी कंपनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के विदेशी निवेश को एफडीआई की उच्चतम सीमा के प्रयोजनार्थ जोड़ा जाएगा। विदेशी निवेशों में इनके द्वारा किए गए निवेश शामिल होगें :- विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी), अमरीकी जमा रसीद (एडीआर), वैश्विक जमा रसीद (जीडीआर) तथा विदेशी संस्था द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयर। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश से तात्पर्य लाइसेंसधारक कंपनी और उसकी हॉल्डिंग वाली कंपनी/कंपनियों या विधिक निकाय (जैसेकि म्युचुअल फंड, न्यास) के शेयरों को धारित करने वाली कंपनी/कंपनियों में समानुपाती आधार पर विदेशी निवेश करने से है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित लाइसेंसधारक कंपनी के शेयरो को "भारतीय हॉल्डिंग" के रूप में माना जाएगा। किसी भी स्थिति में "भारतीय" शेयर हॉल्डिंग 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ii) 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वतः रूप से जारी रहेगा। लाइसेंसधारक कंपनी/भारतीय प्रवर्तकों/निवेशक कंपनियों तथा उसकी हॉल्डिंग कंपनियों में यदि 74 प्रतिशत की संपूर्ण उच्चतम सीमा में फर्क पड़ता है तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन अपेक्षित होगा। निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय एफआईपीबी इस बात पर ध्यान देगा कि यह निवेश ऐसे देशों से जिनसे सावधान रहने की जरूरत है और/या शत्रुतापूर्ण निकायों से तो नहीं हो रहा है।

(iii) एफआईपीबी द्वारा दिया गया निवेश अनुमोदन में यह शर्त भी परिकल्पित होगी कि कंपनी लाइसेंस करार का पालन करेगी।

(iv) एफडीआई भारत के कानून के अध्यधीन होगा न कि विदेशी देश/देशों के कानून के अध्यधीन।

1.2 उपर्युक्त पैरा 1.1 की शर्तें अधिकतम 49% वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दूरसंचार सेवाओं को प्रचालित करने वाली मौजूदा कंपनियों के लिए भी लागू होंगी।

1.3 लाइसेंसधारी लाइसेंसधारक कंपनी में भारतीय और विदेशी इक्विटी हॉल्डिंग (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) का विवरण देगा तथा लाइसेंसदाता को छमाही आधार पर जनवरी के पहले दिन तथा जुलाई के पहले दिन एफडीआई मानदंडों और सुरक्षा शर्तों से संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुपालन रिपोर्ट लाइसेंसधारक कंपनी के कंपनी सचिव या सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

1.4 भारतीय कंपनियों के विलय की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रतिस्पर्द्धा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े जैसाकि नीचे उल्लिखित है :

"कोई भी एकल कंपनी/विधि सम्मत व्यक्ति प्रत्यक्ष रुप से या अपने सहभागियों के माध्यम से अभिगम सेवाएं जैसे बुनियादी, सेल्युलर एवं एकीकृत अभिगम सेवाओं के लिए एक ही सेवा क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंसधारक कंपनी में पर्याप्त इक्विटीधारक नहीं होगी। पर्याप्त इक्विटी का इसमें आशय होगा "10 % या अधिक की इक्विटी" प्रवर्तक कंपनी/विधि सम्मत व्यक्ति एक से अधिक लाइसेंसधारक कंपनियों में एक ही सेवा क्षेत्र के लिए अंशधारक नहीं हो सकता।"

नोट : एनटीपी-99 व्यवस्था के तहत दिनांक 01.11.2001 के पीएमआरटीएस के विस्तृत दिशा-निर्देश के जारी होने के पूर्व विद्यमान पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक कंपनियों के लिए उपर्युक्त खंड 1.4 लागू नहीं होगा।

1.5 लाइसेंसधारक कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि शेयर धारिता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सभी आवश्यक सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

2. लाइसेंस का क्षेत्र

2.1 सेवा को गैर-अनन्य आधार पर उपलब्ध कराने हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तथा अन्य प्रचालकों को भी नामित सेवा क्षेत्र में उसी सेवा के लिए लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं, जिसके तहत 3 जीपीपी/31 जीपीपी-2/ईटीएसआर/आईईटीएफ/एनएसआई/ईआईए/टीआईए/आईएस जैसे संगत अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ/दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र/अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण निकायों को पूरा करने वाले सर्किट तथा/या पैकेट स्विचों सहित किसी प्रकार के नेटवर्क उपस्कर का उपयोग शामिल है। परंतु आगे यह, कि लाइसेंसदाता हमेशा स्वयं या मनोनीत प्राधिकारी के माध्यम से उस सेवा क्षेत्र में जहां के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है के सहित भारत में कहीं भी सेवा के प्रचालन का अधिकार रखेगा।

2.2 लाइसेंसधारी सेवा प्रदान करने में विहित सारी अवसंरचना के लिए स्वयं इंतजाम करेगा तथा संस्थापना, आवश्यक उपस्कर और प्रणालियों की नेटवर्किंग और प्रचालन, उपभोक्ता की शिकायतों का निरूपण, अपने उपभोक्ताओं के बिल जारी करना, राजस्व का संग्रहण, अपने प्रचालनों से उत्पन्न दावों और क्षतियों पर ध्यान देने के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेवार होगा।

3. लाइसेंस की अवधि

3.1 एनालॉग सिस्टमों हेतु :

यह लाइसेंस करार में उल्लिखित प्रभावी तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा यदि इस लाइसेंस करार में उल्लिखित किन्ही विनिर्दिष्ट कारणों से पहले ही रद्द/समाप्त/निलंबित न कर दिया गया हो ।

3.2 डिजिटल सिस्टमों हेतुः

(क) यह लाइसेंस करार में उल्लिखित प्रभावी तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा यदि इस लाइसेंस करार में उल्लिखित किन्हीं विनिर्दिष्ट कारणों से पहले ही रद्द/समाप्त/निलंबित न कर दिया गया हो।

(ख) यदि उपयुक्त माना जाए तो, लाइसेंसदाता लाइसेंस की अवधि को लाइसेंसधारी के अनुरोध पर एक बार में 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है बशर्ते कि यह अनुरोध पारस्परिक सहमति पर लाइसेंस अवधि के 19 वें वर्ष के दौरान किया गया हो। अवधि विस्तार की स्वीकृति के बारे में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम होगा।

4. लाइसेंस की शर्तों में आशोधन

4.1 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि लाइसेंस प्रदाता की राय में जनहित अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा टेलीग्राफों के सही संचालन हेतु आवश्यक अथवा अपरिहार्य हो तो वह किसी भी समय लाइसेंस की शर्तों में बदलाव कर सकता है। इस संबंध में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

5. "लाइसेंस के अंतरण" पर प्रतिबंध

5.1 लाइसेंस प्रदाता की नीचे वर्णित पूर्व लिखित सहमति के बिना लाइसेंसधारक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी तरीके से, तीसरे पक्ष् को इस लाइसेंस को सुपुर्द अथवा अंतरित नहीं करेगा अथवा उप-लाइसेंस के लिए कोई करार नहीं करेगा और/अथवा किसी तीसरे पक्ष से लाइसेंस संबंधी किसी विषय के बारे में पूर्णतः अथवा आंशिक साझेदारी नहीं करेगा अर्थात कोई उप-पट्टा/साझेदारी/ तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं करेगा। परंतु लाइसेंसधारी सेवा की व्यवस्था हेतु हर समय एजेंट और कर्मचारी नियोजित अथवा तैनात कर सकता है।

5.2 लाइसेंसधारक निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर लाइसेंसदाता की पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस करार को सुपुर्द या अंतरित कर सकता है:

(i) जब लाइसेंस प्रदाता, लाइसेंसधारक और ऋण दाताओं के बीच पहले से किए गए त्रिपक्षीय करार की प्रक्रिया पूरा होने की शर्तों के अनुसार अंतरण और सुपुर्दगी का अनुरोध किया गया हो; अथवा

(ii) जब कभी समामेलन अथवा पुनर्गठन अर्थात विलय अथवा विभाजन लागू कानून के अनुसार उच्च न्यायालय या अधिकरण द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित हो; उपबंधों के अनुसार हो; विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के अनुसार; और

(iii) अंतरण प्राप्तकर्ता समनुदेशिती करार शर्तों अथवा उस क्षेत्र में नए लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज में शामिल पात्रता मानदंड के अनुसार पूर्ण रूप से पात्र हो तथा पिछले और भविष्य के रॉल आउट दायित्वों सहित लाइसेंस करार की शर्तों के अनुपालन के लिए लिखित रूप से इच्छा प्रकट करे; और

(iv) अंतरणकर्ता कंपनी द्वारा अंतरण/सुपुर्दगी की तारीख तक की सभी पूर्व देयताएं पूर्ण रूप से अदा कर दी गई हों और इसके पश्चात कार्य छोड़ने वाली कपंनी द्वारा पूर्व अवधि में भुगतान न किए गए किसी शेष सहित भविष्य की सभी देयताएं को अदा करने का वचन दे।

6. सेवा प्रदान करना

6.1 लाइसेंसधारी इस लाइसेंस करार के अंतर्गत सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए सभी अनुप्रयोज्य प्रणालियों के स्वामित्व, संस्थापन, जांच और आरंभ करने के लिए जिम्मेवार और प्राधिकृत होगा।

7. सेवा की सुपूर्दगी

7.1 लाइसेंसधारी लाइसेंस की प्रभावी तिथि से एक वर्ष के भीतर अनुप्रयोज्य प्रणालियों को चालू करेगा। सेवा प्रारंभ करने का तात्पर्य ग्राहकों को प्रभावी वाणिज्यिक सेवा उपलब्ध कराने तथा लाइसेंसप्रदाता को विधिवत सूचना प्रदान करने से होगा। दूरसंचार विभाग के टीईसी द्वारा जारी जांच प्रमाण-पत्र की तिथि से सेवा प्रारंभ मानी जाएगी। तथापि, लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी समय उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने की शुरूआत कर सकता है।

8. सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता

8.1 लाइसेंसधारक समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले नियमों/आदेशों के अनुसार लाइसेंसदाता और ट्राई को प्रणाली पासवर्ड सहित ऐसे दस्तावेज, विवरण, अनुमान, प्रतिवेदन, रिपोर्ट या अन्य सूचना इस प्रकार और ऐसी समय सीमा में प्रस्तुत करेगा जैसाकि उनमें से कोई एक मांग करे। लाइसेंसधारक ट्राई को ट्राई अधिनियम, 1997 या किसी संशोधित, आशोधित कानून के प्रावधान के अंतर्गत समय-समय पर जारी किसी आदेश, निदेश और विनियम के अनुसार सूचना भी उपलब्ध कराएगा।

9. लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण अथवा समाप्ति

9.1 लाइसेंसप्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संपूर्ण या आंशिक सेवा क्षेत्र में या आपातकाल में या युद्ध अथवा छोटे स्तर के संघर्ष में या भारत सरकार द्वारा यथा

घोषित जन हित में किन्हीं अन्य परिस्थितियों में लाइसेंस को निलंबित, रद्द अथवा समाप्त कर सके। परंतु ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा जारी विशिष्ट आदेश व निर्देश लाइसेंसधारक कंपनी के लिए लागू होंगे तथा इनका अनुपालन गंभीरतापूर्वक किया जाएगा। इस परिस्थिति में, इस लाइसेंस के निलंबित रहने की अवधि के दौरान के किसी लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं होगा।

परंतु पूर्वोक्त कार्रवाई के फलस्वरूप हुई किसी क्षति अथवा हानि के लिए लाइसेंस प्रदाता जिम्मेवार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस की अवधि विस्तार के लिए लाइसेंस का निलंबन कोई कारण अथवा आधार नहीं होगा तथा निलंबन की अवधि पहले ही व्यतीत अवधि के रूप में गिनी जाएगी।

9.2 लाइसेंस की किसी भी शर्त की अवहेलना करने पर, किसी अन्य उपलब्ध उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, लाइसेंस प्रदाता लाइसेंसधारी को इसके पंजीकृत कार्यालय को जारी 60 दिन के लिखित नोटिस द्वारा, निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति में इस लाइसेंस को पूर्णतया अथवा अंशतः निरस्त कर सकता है :

यदि लाइसेंसधारी :

(क) शुल्क के समय पर भुगतान और लाइसेंस प्रदाता को देय अन्य शुल्कों सहित लाइसेंस के अंतर्गत किसी दायित्व(वों) के निष्पादन में असफल रहे;

(ख) लाइसेंस प्रदाता द्वारा लाइसेंसधारी को दी गई समय अवधि के दौरान सेवा/उपस्कर में किसी त्रुटि/कमी को सुधार न पाए।

(ग) परिसमापन हो जाए अथवा उसे समाप्त करने के आदेश दिए जाएं।

(घ) लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर ट्राई द्वारा लाइसेंस के निरस्तीकरण की सिफारिश की जाए।

(ङ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों का पालन करने में असफल रहे।

9.3 लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्रदाता को कम से कम 60 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर लाइसेंस को लौटा भी सकता है। लाइसेंसधारी अपने सभी उपभोक्ताओं को 30 दिन का नोटिस भेजकर परिणामस्वरूप सेवा वापसी की भी सूचना भेज सकता है। लाइसेंसधारी लाइसेंस छोड़ने की प्रभावी तारीख तक के सभी शुल्क अदा करेगा। लाइसेंस छोड़ने की प्रभावी तारीख, लाइसेंस प्रदाता को प्राप्त ऐसे नोटिस की तारीख से गिनकर 60वां कलैण्डर दिन होगा।

9.4 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि लाइसेंस को रद्द करने संबंधी नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन का नोटिस देकर, जनहित में लाइसेंस को किसी भी समय रद्द कर सकता है।

9.5 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह लाइसेंसधारी की संपूर्ण सेवा, उपस्करों और नेटवर्कों का अधिग्रहण कर सकता है अथवा जनहित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध की स्थिति में अथवा कम तीव्रता संघर्ष अथवा ऐसी समान परिस्थितियों में लाइसेंस को रद्द/समाप्त/निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस प्रदाता के पास अधिकार सुरक्षित है कि यदि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो तो किसी क्षेत्र को प्रचालन जोन से बाहर रख सकता है।

9.6 लाइसेंस शर्तों को पूरा न करने संबंधी उल्लंघन की जानकारी नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप या शिकायतों के माध्यम से लाइसेंसदाता के नोटिस में आ सकती है। जहां भी उपयुक्त समझा जाए लाइसेंसदाता स्वयं या शिकायत के आधार पर यह जानने के लिए जांच कर सकता है कि लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के निबंधन ओर शर्तों के अनुपालन के संबंध में कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा इस जाँच के आधार पर लाइसेंसधारी सभी उचित सुविधाओं में विस्तार करेगा तथा हर प्रकार की अड़चन को हटाने का प्रयत्न करेगा।

9.7 लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस अवधि के दौरान भी जब लाइसेंस को लौटाने/समाप्त करने का नोटिस लंबित है, सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखेगा तथा यदि उक्त नोटिस अवधि के दौरान सेवा की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है तो, क्षतियों का भुगतान करने के लिए वह उत्तरदायी होगा। क्षतियों की मात्रा तथा इसका भुगतान किसे किया जाना है इसका निर्णय ट्राई द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारी नोटिस अवधि के अंत तक तथा विशेष रूप से उस तिथि से जिससे लाइसेंस लौटाने समाप्त करना प्रभावी होता है, से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

9.8 लाइसेंस को समाप्त करने हेतु लाइसेंसधारी को निम्नलिखित कार्य करना अपेक्षित होगाः-

(i) स्व-आकलन के अनुसार समापन की प्रस्तावित तिथि तक लाइसेंस करार से संबंधित इसकी सभी देयताओं (लाइसेंस शुल्क एवं डब्ल्यूपीसी प्रभार) का भुगतान करना।

(ii) प्रतिभूति जमा का भुगतान करना, जिसे कंपनी के लेखा के अंतिम निपटान के बाद लाइसेंस करार के अनुसार देयताओं के समायोजन के बाद लौटा दिया जाएगा। प्रतिभूति जमा की राशि अधिकतम वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत सहित डब्ल्यूपीसी प्रभार , जो लाइसेंस प्रदाता की संतुष्टि के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं तथा अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराए जाने की अवधि के दौरान यथानुपात आधार पर परिकलित पिछले तीन वर्षों के दौरान लाइसेंस द्वारा भुगतान किया गया हो।

(iii) लिखित में वचन देता हूँ कि दूरसंचार विभाग कंपनी से क्षतिपूर्ति बंध-पत्र के रूप में किन्हीं बकाया देयताओं के भुगतान हेतु किसी अन्य प्रतिविधान को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9.9 लाइसेंसधारी द्वारा खंड 9.8 का अनुपालन किए जाने पर, बैंक गारंटी लाइसेंस के समापन पर लाइसेंसप्रदाता को वापस कर दी जाएगी।

10. <u>लाइसेंस को समाप्त करने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई</u>

10.1 यदि लाइसेंस करार के अंतर्गत ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लाइसेंस प्रदाता को लाइसेंस करार को समाप्त करना पड़े तो लाइसेंसप्रदाता, जहाँ ऐसा करार निष्पादित और हस्ताक्षरित किया गया हो, लाइसेंस करार के साथ पठनीय त्रिपक्षीय करार में दी गई शर्तों के अनुसार कार्रवाई करेगा। हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करार न होने के मामलों में निम्न शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

10.2 लाइसेंस को समाप्त करने अथवा छोड़ने अथवा अवधि खत्म होने की स्थिति में, सभी देयताओं जिसका भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंसधारक को किया जाना है, को चुकाने के संबंध में आश्वस्त होने पर ही लाइसेंसधारी को बैंक प्रत्याभूतियां सौंपी जाएंगी। लाइसेंसधारी के लाइसेंसदाता को देय राशियों का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, लाइसेंसधारी को आगे कोई सूचना दिए बिना लाइसेंसदाता को देय राशि की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई(ओं) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना बैंक प्रत्याभूतियों के भुनाने के माध्यम से बकाया राशि वसूली जाएगी।

11. बाध्यकारी उपाय

11.1 यदि किसी समय इस लाइसेंस के जारी रहने के दौरान किसी पक्षकार द्वारा इसके अंतर्गत किसी दायित्व का समग्र रूप से या आंशिक रूप से निष्पादन को युद्ध या शत्रुता द्वारा, सार्वजनिक शत्रुता, नागरिक क्षोभ, विध्वंस, राज्य की कार्रवाई या सांविधिक प्राधिकारी से निदेश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो लाइसेंसधारक के प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं तक सीमित नहीं हो), दैवी कार्य (जिसे यहां घटना कहा जाएगा) द्वारा रोका जाता है या विलम्बित होता है, बशर्ते कि किसी ऐसी घटना के होने के बारे में इसके घटित होने की तारीख से 21 कैलेण्डर दिवसों के भीतर इसकी सूचना प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दे दी जाती है, कोई भी पक्ष इस घटना के कारण लाइसेंस समाप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होगा न ही किसी पक्ष का ऐसा निष्पादन न करने या निष्पादन में विलम्ब के मामले में दूसरे पक्ष के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार होगा। परंतु ऐसी घटना के समाप्त होने के पश्चात, लाइसेंस के तहत सेवा व्यवहार्य होने पर शीघ्रातिशीघ्र शुरू की जाएगी। इस तरह सेवा शुरू करने (और समय-सीमा जिसके भीतर सेवा शुरू की जा सकती है) या न करने के संबंध में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

11.2 तथापि, बाध्यकारी उपाय संबंधी उपर्युक्त घटनाओं के कारण किसी भी तरह लाइसेंस की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी।

11.3 जबकि यह लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने का कोई आधार भी नहीं होगा, घटना की परिस्थितियों पर आधारित विवेक पर, बाध्यकारी खंड के कारण ऐसी अप्रचालक अवधि(यों) के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान की देयता को तथापि लाइसेंसदाता द्वारा कम किया/छोड़ा जा सकता है।

12. सेट ऑफ क्लाज :

12.1 यदि कोई धनराशि अथवा दावा लाइसेंसधारक से लाइसेंसदाता को इस लाइसेंस करार के लिए अथवा अन्यथा किसी रूप में देय हो जाता है तो ऐसी धनराशि अथवा दावे को (विधि द्वारा दिए

गए अथवा लगाए गए किसी प्रतिदावे के लिए सेट ऑफ संबंधी किसी अधिकार को प्रतिबंधित किए बिना) तब देय अथवा इस लाइसेंस करार या अन्य करार अथवा लाइसेंसदाता तथा लाइसेंसधारक के बीच किसी अन्य करार अथवा ठेके के अंतर्गत तत्पश्चात किसी समय लाइसेंसधारक को देय होने वाली किसी राशि अथवा धनराशि में से घटा लिया जाएगा अथवा समयोजित कर दिया जाएगा।

12.2 लाइसेंसधारक कंपनी को भुगतान की जाने वाली पूर्वोक्त धनराशि में कोई मूल्यवान प्रतिभूति जिसे धनराशि में परिवर्तित किया जा सके, शामिल होगी।

12.3 सेट ऑफ संबंधी अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात, लाइसेंसदाता ऐसी कार्रवाई की सूचना लाइसेंसधारक कंपनी को लिखित रूप में तुरंत स्पष्ट रूप से देगा।

13. वे लीव :

13.1 लाइसेंसधारक कंपनी राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के लिए स्वयं अपना प्रबंध करेगी। तथापि, केंद्र सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-III के अंतर्गत टेलीग्राफ लाइनें स्थापित करने के उद्देश्यार्थ, लाइसेंसधारी को अपेक्षित शक्तियां प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी कर सकती है। बशर्ते की आरओडब्ल्यू की अनुपलब्धता या किसी ऐजेंसी से अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने में हुए विलंब को रॉल-आउट दायित्वों को पूरा न होने के कारण के रूप में न माना जाए तथा साथ ही इस लाइसेंस की शर्तों के द्वारा लगाए किसी दायित्व को पूरा न कर पाने के लिए एक वैध कारण के रूप मे नहीं लिया जाए।

14. सामान्य :

14.1 लाइसेंसधारक इस लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों तथा लाइसेंसदाता/ट्राई द्वारा जारी अनुदेशों तथा समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम 1997 के उपबंधों के अनुसार ट्राई के आदेशों/निदेशों/विनियमनों से बंधा होगा।

14.2 इस लाइसेंस से संबधित सभी विवाद ट्राई अधिनियम, 1997 के उपबंधों, जिसमें कोई भी संशोधन या आशोधन जो भी हो शामिल है के अनुसार दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के क्षेत्राधिकार में होंगे।

14.3 यह लाइसेंस करार भारतीय तार अधिनियम 1885 या भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 के अंतर्गत सावंधिक उपबंधों और नियमों के अनुसार कार्य करेगा। इन संविधियों के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश लाइसेंसधारी के लिए मान्य होगा।

भाग-II वाणिज्यिक शर्तें

15. प्रशुल्क :

15.1 लाइसेंसधारी ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी प्रशुल्क आदेशों/विनियमों/निदेशों के अनुसार सेवा के लिए प्रशुल्क की वसूली करेगा। लाइसेंसधारी समय-समय पर यथा संशोधत ट्राई अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर जारी ट्राई के निदेशानुसार इसके आदेशों/विनियमनों/निदेशों के माध्यम से प्रशुल्कों, अधिसूचनाओं के प्रकाशन और सूचना प्रदान करने के बारे में भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

16 सार्वजिनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा की निर्देशिका का प्रकाशन : -

16.1 पीएमआरटीएस के उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना को शामिल करने वाली सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा की निर्देशिका के प्रकाशन के संबंध में ट्राई का निर्धारण।

भाग-III वित्तीय शर्तें

17. देय प्रशुल्क

17.1 लाइसेंस शुल्क :

(क) वाणिज्यिक पीएमआरटीएस प्रणाली हेतु लाइसेंस शुल्क सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के लिए अंशदान हेतु उपयोग में लाई जा रही सेवा से ' समायोजित सकल राजस्व' का 5% होगा।

17.2 रेडियो स्पेक्ट्रम प्रभार

रेडियो स्पैक्ट्रम के उपयोग हेतु लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त, रॉयल्टी एवं शुल्कों का भुगतान पृथक रूप से करना होगा। वाणिज्यिक सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा लाइसेंसों से स्पैक्ट्रम प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था डब्ल्यूपीसी द्वारा समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के अध्यधीन होगी।

इसके अतिरिक्त, प्वाइंट टू प्वाइंट लिंकों और अन्य अभिगम लिकों के लिए स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने हेतु, बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध के ब्योरा और आदेश के अनुसार पृथक रूप् से रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। स्पेक्ट्रम के उपयोग/बेतार टेलीग्राफी उपस्कर के स्वामित्व के लिए शुल्क/रॉयल्टी विभिन्न कारकों जैसे कि फ्रीक्वेंसी, होप ओर लिंक लैंथ, प्रचालन क्षेत्र और अन्य संबंद्ध पहलुओं इत्यादि पर निर्भर करता है। लाइसेंस प्राप्त प्रचालकों द्वारा माइक्रोवेब लिंकों की स्थापना करने हेतु फ्रीक्वेंसियों के प्राधिकार तथा लाइसेंस जारी करने के कार्य का मौजूदा नियमों के अनुसार पृथक रूप से डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा निपटान किया जाएगा।

उपर्युक्त स्पैक्ट्रम प्रभार समय-समय पर डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा की गई समीक्षा के अनुरूप परिवर्तित होगा।

18. "समायोजित सकल राजस्व" की परिभाषा

18.1 सकल राजस्व

राजस्व की परिभाषा

18.2 राजस्व के प्रतिशत के रूप में लाइसेंस शुल्क की वसूली के उद्देश्यार्थ, समायोजित सकल राजस्व में सकल राजस्व को शामिल किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगेः-

i. उन दूरसंचार सेवा प्रदाता (प्रदाताओं), जिसके नेटवर्क से अन्य लाइसेंसधारक कंपनी का नेटवर्क अंतर्संयोजित हो, को प्रदत्त प्रकृति के माध्यम से ' चार्जेज ऑफ पास'!

ii. विक्रय कर और सेवा करके संघटक के रूप में यदि सकल राजस्व शामिल किया गया था तो सरकार को वास्तविक रूप से प्रदत्त सेवा के संबंध में सेवा कर तथा विक्रय कर।

18.3 ' सकल राजस्व' के अंतर्गत लाइसेंसधारी को वस्तुओं की आपूर्ति, सेवाओं की उपलब्धता, अवसंरचना की पट्टेदारी/किराये पर देना, इसके संस्थानों का अन्य प्रचालकों द्वारा प्रयोग किया जाना, आवेदन शुल्क, संस्थापना प्रभार, कॉल प्रभार, विलंब शुल्क, विक्रयागमों के उपकरण (या सहायक उपस्कर सहित टर्मिनल उपस्कर), वार्षिक अनुरक्षण संविदा की वजह से शुल्क, मूल्य संवर्द्धित सेवाओं से आय, अनुपूरक सेवाओं, अभिगम या अंतर्संयोजन प्रभार, इत्यादि तथा व्यय से संबद्ध मद के सेट-ऑफ के बिना ब्याज, लाभांश, इत्यादि सहित विविध अन्य मदों से प्राप्त आय शामिल है।

19. वार्षिक लाइसेंस शुल्क और अन्य बकायों के भुगतान की समय-सूची

19.1 उपर्युक्त पैरा 17.1 में उल्लिखित लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अंग्रेजी कैलेण्डर के 12 महीने का वर्ष होगा।

व्याख्या : लाइसेंस के प्रथम वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क की गणना पूर्ववर्ती तिमाहियों जो प्रायः प्रत्येक तीन महीने की होती है, को छोड़ने के पश्चात दिनों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में की जाएगी।

19.2 लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों मे किया जाएगा। लाइसेंसधारक द्वारा वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान वर्ष की संबद्ध तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर करना होगा। लाइसेंसधारक द्वारा इस लाइसेंस शुल्क का भुगतान, लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र के साथ विधिवत प्रमाणित करके, बोर्ड संकल्प द्वारा प्राधिकृत सामान्य पावर आफ अटार्नी के साथ तिमाही के लिए वास्तविक राजस्व के आधार पर (प्राप्ति के आधार पर) करना होगा। तथापि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क का भुगतान तिमाही के लिए प्रत्याशित राजस्व के आधार पर 25 मार्च तक करना होगा, बशर्ते कि न्यूनतम भुगतान पिछली तिमाही के लिए अदा किए गए राजस्व हिस्से के बराबर हो।

19.3 त्रैमासिक भुगतान **अनुबंध-II एवं अनुबंध-II क** में दिए गए विवरण के साथ निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा जिसके साथ समायोजित सकल राजस्व का परिकलन और पिछली तिमाही के लिए देय लाइसेंस शुल्क दर्शाना होगा। प्रत्येक वर्ष के पूर्वोक्त विवरणों की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अधीन नियुक्त किए गए लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक (जिसे इसके पश्चात लाइसेंसधारक का लेखापरीक्षक कहा गया है) से लेखा परीक्षा करानी अपेक्षित होगी। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट **अनुबंध-III** में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए।

19.4 लाइसेंसधारक कंपनी तिमाही के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए वास्तविक (आधार पर) विधिवत रूप से देय वास्तविक राशि तथा भुगतान की गई राशि के अंतर की राशि को समायोजित करेगा और उनका भुगतान करेगा।

19.5 निर्धारित अवधि के बाद लाइसेंस शुल्क अथवा लाइसेंस के अंतर्गत देय कोई अन्य बकाये के भुगतान में किसी प्रकार के विलंब के कारण संबंधित कथित वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के संबंध में जो दर वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल) की शुरूआत में होगी, उसी के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्राइम लेंडिंग दर (पीएलआर) से 2% से अधिक दर पर ब्याज लगेगा। ब्याज मासिक रूप से मिश्रित लिया जाएगा और महीने के कुछ दिनों को ब्याज की गणना के प्रयोजनार्थ पूरा महीना के रूप में गिना जाएगा। महीना अंग्रेजी कलेण्डर के माह के रूप में माना जाएगा।

19.6 वर्ष के लाइसेंस शुल्क का अंतिम रूप से समायोजन कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित सकल राजस्व आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित वर्ष के 30 जून को या उससे पहले होगा।

19.7 लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 7(सात) दिनों कें भीतर प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणों में दर्शाये आंकड़े और वार्षिक लेखाओं में दर्शाये आकड़ों जिसके साथ प्रकाशित वार्षिक लेखांकन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा यथा लेखा परीक्षित तिमाही विवरण भी होगा, के बीच सामंजस्य बनाकर प्रस्तुत करना होगा। वार्षिक वित्तीय लेखा और शर्त 19.3 में यथा उल्लिखित विवरण **अनुबंध-IV** में यथा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार करना होगा।

19.8 यदि वित्तीय वर्ष की चारों (4) तिमाहियों के लिए त्रैमासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में अदा की गई कुल राशि में देय लाइसेंस शुल्क के 10% से अधिक तक कमी आती है तो इस पर कम भुगतान की संपूर्ण राशि का 50% का जुर्माना लगेगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से 60 दिनों के भीतर कम भुगतान की राशि का भुगतान 60 दिनों के भीतर कर दिया जाता है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। कम भुगतान की इस राशि, जुर्माना सहित का भुगतान वार्षिक लेखाओं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में **शर्त 19.5** की शर्तों के अनुसार उस पर पुनः ब्याज लगा दिया जाएगा। तथापि, ऐसे छोटे भुगतान क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस से 60 दिनों की अवधि के भीतर किए जाने हैं, किसी प्रकार की शासित नहीं लगाई जाएगी।

19.9 उपर्युक्त पैरा 17.2 में उल्लिखित देय शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान उस समय और उस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि संचार मंत्रालय के डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

19.10 इस लाइसेंस करार में यथा उल्लिखित संपूर्ण राशि बकाया और देय हो रही है तो उसका लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान किसी भी राष्ट्रीय बैंक से डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे-आर्डर के माध्यम से जो नई दिल्ली में देय हो, वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग अथवा किसी अन्य प्राधिकारी, यदि लाइसेंसदाता द्वारा ऐसा कोई पदनामित किया जाए, के पक्ष में करना होगा।

19.11 लाइसेंसदाता अदा की गई राजस्व हिस्सेदारी का समुचित और सही-सही सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इसके पहले और इसके बाद में लिखित इस अनुसूची की शर्त सं0 19.3, 19.7, 21.5 और 21.6 में जो कुछ भी कहा गया है, यदि आवश्यक मानता है तो उनमें आशोधन, फेरबदल, प्रतिस्थापन और संशोधन कर सकता है।

19.12 लाइसेंसधारक अपने नेटवर्क से हुई कॉलों परंतु बीएसएनएल/एमटीएनएल/अन्य अभिगम सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क में गईं तथा समाप्त हुई कॉलों के कैरेज के लिए अलग से अभिगम प्रभारों का भुगतान करेगा। लाइसेंसधारक द्वारा अन्य लाइसेंस सेवा प्रदाताओं से प्राप्त नेटवर्क संशोधनो के लिए भी अलग से भुगतान करेगा। यह आपसी सहमति तथा/या ट्राई के निर्णय द्वारा शासित किया जाएगा।

20. बैंक गारंटी

20.1 वित्तीय बैंक गारंटी : लाइसेंसधारी अनुबंध-V में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक या किसी भारतीय सावर्जनिक वित्तीय संस्थान से एक वर्ष के लिए मान्य वित्तीय बैंक गांरटी (एफबीजी) प्रस्तुत करेगा। एफबीजी की धनराशि एक लाख या पिछले वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क के समतुल्य राशि तथा अन्य देयताएं जिनकी अन्यथा प्रतिभूति न हो, जो भी अधिक हो, के बराबर होगी। एफबीजी सिर्फ एक वर्ष के लिए वैध होगी तथा ऐसी सभी देयताओं के अंतिम रूप से निपटान होने तक लाइसेंस करार की संपूर्ण अवधि के लिए अनुरक्षित रखी जानी है। एफबीजी की राशि लाइसेंसप्रदाता की आवधिक समीक्षा के अध्यधीन होगी।

20.2 स्पेक्ट्रम का उपयोग करने तथा साथ ही बेतार टेलीग्राफी उपस्कर को रखने के लिए शुल्क, प्रभार तथा रायल्टी डब्ल्यूपीसी को यथा अपेक्षित वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करके अलग से प्रतिभूति की जाएगी, जिसकी वैधता एक वर्ष के लिए होगी, जिसका ऐसी सभी देयताओं का अंतिम रूप से भुगतान करने तक की संपूर्ण अवधि के दौरान अनुरक्षित किया जाना है।

20.3 लाइसेंसधारक वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर लाइसेंसदाता से कोई मांग अथवा नोटिस प्राप्त किए बिना वित्तीय बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने की तारीख से न्यूनतम एक माह पूर्व समान शर्तों के लिए उसकी वैधता अवधि स्वयं बढ़ा लेगा। ऐसा करने में किसी चूक से लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होगा और लाइसेंसदाता वित्तीय बैंक गारंटी को भुनाने और उसी के जोखिम और लागत पर लाइसेंसधारक को कोई

पत्र भेजे बिना इसे नकद प्रतिभूति में परिवर्तित करने का हकदार हो जाएगा। लाइसेंसदाता द्वारा ऐसे नकदीकरण पर कोई ब्याज अथवा मुआवजा, कुछ भी हो, नहीं दिया जाएगा।

20.4 लाइसेंसदाता, लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस की निबंधन और शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने के मामले में अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी पूर्वाग्रह के बिना वित्तीय बैंक गारंटी/गारंटियों को भुना सकता है।

21.0 लेखाओं की तैयारी

21.1 लाइसेंसधारक सेवा के लिए स्वतंत्र लेखाओं का आहरण, रखरखाव .और उन्हें प्रस्तुत करेगा और लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा जैसा भी मामला हो, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों , दिशा-निर्देशों अथवा विनियमों का पूर्णरूपेण अनुपालन करेगा।

21.2 लाइसेंसधारक निम्नलिखित कार्य के लिए बाध्य होगा :

(क) लाइसेंस अवधि की पूरी हुई प्रत्येक तिमाही अथवा इससे कम अवधियों जैसा लाइसेंसदाता निर्धारित करे, के संबंध में अपने करोबार में लेन-देन को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने और व्याख्या करने, लागत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने (पूंजीगत लागत सहित) लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारक के कारोबार की राजस्व और वित्तीय स्थिति जिसमें लगाई गई परिसम्पत्तियों का तर्कसंगत मूल्यांकन शामिल है, और राजस्व की मात्रा निर्धारित करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु लाइसेंसधारक के कारोबार से संबंद्ध अन्य देनदारियों से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव और संकलन करना।

(ख) पूरे हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में तैयार किए गए उन प्रत्येक लेखांकन विवरणों के बारे में अधिप्रापण, लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र में लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताना कि क्या उनके विचार से इस शर्त के प्रयोजनार्थ वह विवरण पर्याप्त है और तत्पश्चात लाइसेंसदाता को उक्त रिपोर्ट के साथ प्रत्येक लेखांकन विवरणों की प्रतिलिपि उस अवधि, जिससे वे संबद्ध हों, की समाप्ति के पश्चात संप्रेषित करना जो दो महीने से अधिक न हो।

(ग) कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र पर शपथ का प्रमाणित विवरण, जिसमें सेवा से प्रत्येक तिमाही के अर्जित राजस्व का अलग-अलग पूर्ण लेखा विवरण और साथ में संबंधित तिमाही का भुगतान विवरण भी हो, लाइसेंसदाता को संप्रेषित करना।

21.3(क) लाइसेंसदाता अथवा ट्राई के पास जैसा भी मामला हो, इस लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की गई सेवा के संबंध में किए गए व्यवसाय के बारे में किसी भी लेखा बही जिसका रखरखाव लाइसेंसधारक करे, की जांच करने के लिए किसी भी समय बिना कोई कारण बताए मांग करने का अधिकार है और लाइसेंसधारक जांच के लिए उन्हें आपूर्ति करने और प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

21.3(ख) लाइसेंसधारक निरपवाद रूप से कंपनी के विधिवत लेखा परीक्षित व अनुमोदित लेखाओं के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी बिलिंग और अन्य लेखांकन रिकार्डों (इलेक्ट्रॉनिक और हार्डकॉपी) को सुरक्षित रखेगा और इस कार्य में किसी भी कोताही को किसी अन्य उल्लंघन के समान स्वतः वास्तविक उल्लंघन माना जाएगा और यह लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त कारण होगा।

21.4 लाइसेंसधारक के रिकार्डों की जांच लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अध्यधीन होगी ताकि लाइसेंसदाता को देय उसके राजस्व हिस्सेदारी की धनराशि के स्वतंत्र सत्यापन में सुविधा रहे।

21.5 लाइसेंसदाता के विचार में जब यह आए कि प्रस्तुत किए गए विवरण अथवा लेखांकन गलत अथवा भ्रामक हैं तो वह लाइसेंसधारक के खर्च पर लेखा परीक्षक नियुक्त करके लाइसेंसधारक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने का आदेश दे सकता है और नियुक्त लेखा परीक्षक/परीक्षकों के पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को मिली होती हैं। ऐसे लेखा परीक्षकों की परिलब्धियां, लाइसेंसदाता द्वारा जैसी भी निर्धारित की जाएंगी, वे लाइसेंसधारक द्वारा वहन की जाएंगी।

21.6 लाइसेंसदाता "विशेष लेखा परीक्षकों" द्वारा लाइसेंसधारक कंपनी के लेखाओं/रिकार्डों की "विशेष लेखा परीक्षा" भी करा सकता है जिसका भुगतान लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किया जाएगा। इसे लाइसेंसधारक कंपनी वहन करेगी। यह उपर्युक्त पैरा **21.5** में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा के स्वरूप का होगा। "विशेष लेखा परीक्षकों" को भी वही सुविधा और वही शक्तियां उपलब्ध होंगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा परिकल्पित कंपनियों के लेखा परीक्षकों को उपलब्ध हैं।

21.7 लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर निर्धारित लेखांकन मानदंडों और मार्गनिर्देशों जैसा भी मामला हो, के अनुसार कंपनी का वार्षिक वित्तीय लेखा तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होगा।

भाग- IV तकनीकी शर्तें

22.0 तकनीकी शर्तें :

22.1 लाइसेंसधारी सेवा के प्रचालन हेतु प्रयुक्त होने के लिए प्रस्तावित प्रौद्योगिकी का ब्योरा, सेवा की गुणवत्ता तथा अन्य निष्पादन पैरामीटरों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। प्रौद्योगिकी आईटीयू/टीईसी अथवा अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय मानकी संगठन/निकायों द्वारा जारी मानकों पर आधारित होनी चाहिए तथा लाइसेंसधारक को ऐसी प्रौद्योगिकियों को प्रयोग आरंभ करने के पूर्व लाइसेंसदाता की अनुमति लेनी होगी।

22.2 **स्थिर टेलीफोनों का उपयोग :** सेवा को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। नेटवर्क के फिक्सड स्टेशनों की कुल संख्या किसी भी समय उपभोक्ताओं की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

22.3 **पारेषण संबंधी विशिष्टताएं :** सेवा की उपलब्धता हेतु संस्थापित प्रणाली का डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए ताकि सेवा क्षेत्रों के भीतर भवनों में बेहतर रेडियो कवरेज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस प्रणाली का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि बेस स्टेशन से अधिकतम 30 किमी की दूरी कवर हो सके, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ किसी पृथक लाइसेंस के लिए अधिक दूरी अनुमत है।

22.4 **फ्रीक्वेंसी बैंड :** फ्रीक्वेंसी बैंड तथा बेस स्टेशनों से अनुमत पावर सीमा के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। इन बैंडों के सिर्फ उपलब्ध फ्रीक्वेंसी स्लॉटों पर समय-समय पर संशोधित एनएफएपी-2002 के अनुसार लाइसेंसधारक को आवंटन करने हेतु विचार किया जाएगा।

क) फ्रीक्वेंसी बैंड :

(i) डिजिटल पीएमआरटीएस हेतु 856-859 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित 811-814 मेगाहर्ट्ज।

(ii) एनालॉग पीएमआरटीएस हेतु 859-864 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित 814-819 मेगाहर्ट्ज।

ख)	**अधिकतम आरएफ पावर आउटपुट**	-	100 वाट तक बेस स्टेशन
		-	30 वाट तक वीकल मोबाइल
		-	03 वाट तक हैंड हेल्ड
ग)	समीपवर्ती चेनल अंतरालन	-	200 मेगाहर्ट्ज स्टेशन
		-	25 किलोहर्ट्ज(11 के ओ एफ 3 ई)
घ)	**ड्यूपलेक्स अंतरालन**	-	800 मेगाहर्ट्ज बैंड
	(टीएक्स आर एक्स अंतरालन)	-	45 मेगाहर्ट्ज

22.5 सेवा के प्रयोक्ताओं के बीच सिर्फ ' रीचल टाइम वॉइस एवं मैसेज कम्यूनिकेशन' की अनुमति है। निम्नलिखित कुछ वैसी वैकल्पिक सेवाएं हैं जिन्हें लाइसेंसीकृत नेटवर्क में उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रस्ताव में किन्हीं अन्य वैकल्पिक सेवाओं को सूचीबद्ध किया जा सकता है :

(i) ग्रुप कॉलिंग

(ii) प्राइऑरिटि कॉल ओवरराइड

(iii) फ्लीट/डिस्पैच कॉल

(iv) उपर्युक्त खंड 20.6.1 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आरएफ पावर सीमाओं का अतिक्रमण किए बिना बेस स्टेशन से होकर जाते हुए मोबाइल से मोबाइल तथा मोबाइल से फिक्स्ड डायरेक्ट कम्यूनिकेशन।

(v) क्लोज्ड यूजर ग्रूप
मोबाइल स्टेशन संबद्ध बेस स्टेशन (स्टेशनों) को आवंटित किसी फ्रीक्वेंसी को प्रेषित करने के लिए प्राधिकृत है।

22.6 चैनल आवंटन एवं भारण :

22.6.1दो पृथक लाइसेंसीकृत सिस्टमों के बीच कोई अंतर्संयोजन अनुमत नहीं होगा।

22.6.2 दूसरे फ्रीक्वेंसी बैंड में प्रचालन हेतु पृथक लाइसेंस की अपेक्षा होगी, चाहे उसी बेस स्टेशन/रिपीटर स्टेशन का प्रयोग नई प्रणाली के लिए किया जा रहा हो।

22.6.3 प्रारंभतः पीएमआरटीएस एनालॉग सिस्टम के लिए अधिकतम पांच चैनल (आवृत्ति युग्म) तथा डिजिटल सिस्टम के लिए 30 तक आवृत्ति चैनल (प्रत्येक 25 किलोहर्ट्ज का) आवंटित होंगे, जो उसकी उपलब्धता तर्कसंगता एवं वास्तविक उपयोग के अनुरूप होगा। साथ ही, विशिष्ट सेवा क्षेत्र के विनिर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी बैंडों फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन तथा सेवा में वृद्धि के मद्देनजर रखने के उपरांत अतिरिक्त चैनलों पर विचार किया जाएगा।

22.6.4 मोबाइल ट्रंक्ड रेडियो चैनलों में प्रति चैनल आधार पर न्यूनतम संख्या में मोबाइल होने चाहिए जबकि एनालॉग सिस्टम के लिए प्रति चैनल 90 मोबाइल का उपयोग स्वीकार्य है। डिजिटल सिस्टम हेतु प्रति चैनल भारण एनालॉग सिस्टम की तुलना में काफी अधिक होगा। डिजिटल सिस्टम हेतु प्रति चैनल आधार पर मोबाइलों की न्यूनतम संख्या का निर्धारण टीईसी के साथ परामर्श करके किया जाएगा। लाइसेंसदाता को आवंटित चैनलों की वापस करने का अधिकार सुरक्षित होगा यदि उपभोक्ता आधारित मानदंड को पूरा नहीं किया जाता है या चैनलों का उपयोग आवंटित तकनीकी पैरामीटरों के अनुरूप नहीं किया जाता है।

22.6.5 आवंटन हेतु अतिरिक्त चैनलों पर विचार तभी किया जा सकता है जब अर्लांग परियात के संबंध में प्रति चैनल उपयोग 90 प्रतिशत तक पहुँच गया है तथा आवेदन की तिथि के पूर्व कम से कम तीन महीनों की अवधि के लिए वैसा ही रहता है। यदि लाइसेंस की छः महीने की प्रारंभिक

अवधि के अंत में भारण अर्लांग परियात के संबंध में 70% से कम भारण हो, तो दूरसंचार प्राधिकारी लाइसेंसधारी को बिना नोटिस दिए रेडियो चैनल आवंटन को वापस ले सकता है।

22.6.6 सह-चैनलों सिस्टमों के लिए लाइसेंस स्थापित प्रक्रिया के अनुसार टेरेन एंटिना ऊँचाई एवं आवश्यक समन्वय पर मामला-दर-मामला क्लियरेंस पर दिया जाएगा।

23 लागू व्यवस्था :

23.1 सेवा प्रचालन की प्रक्रिया में, लाइसेंसधारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा : -

(i) उपभोक्ता के परिसर में उपस्कर की संस्थापना, जोकि उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करेगा, को छोड़कर साइट्स की संस्थापना के लिए

(ii) उपस्कर के समुचित रखरखाव के लिए

(iii) निष्पादन मानदंड को बनाए रखने के लिए

(iv) खंड 27 के अनुसार सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए

24. इंजीनियरिंग ब्यौरा :

(क) लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता को ऐसे तरीके से और ऐसे समय, जैसाकि लाइसेंसप्रदाता अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि मांग करे, लागू व्यवस्था के संबंध में सिस्टम/नेटवर्क का इंजीनियरिंग, योजना और आयाम की सभी गणनाओं सहित पूरा तकनीकी ब्यौरा संबंधित प्रासंगिक साहित्य, ड्राईंग्स, संस्थापना सामग्री उपलब्ध कराएगा।

(ख) सेवा के शुरू होने से पहले अथवा लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय यदि लाइसेंसप्रदाता का जांच दल और/अथवा टीईसी जांच करना चाहे तो लाइसेंसधारी उन्हें औजार जांच उपकरण और अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराएगा।

25. नेटवर्क इंटरकनेक्शन

25.1(क) अनुमत पीएसटीएन कनेक्टिविटी एनालोग प्रणाली के लिए 5 (पांच) आरएफ चैनलों (प्रत्येक 25 किलोहट्र्ज का) के लिए एक पीएसटीएन लाईन तक सीमित होगा जिसमें केवल लाइसेंसप्राप्त अभिगम सेवा प्रचालक होगा ।

25.1(ख) अनुमत पीएसटीएन कनेक्टिविटी 10,000 ग्राहकों तक डिजीटल प्रणाली के लिए एक ई-1 संपर्क (30 सर्किटों) तक और इसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 10,000 ग्राहकों या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त ई-1 संपर्क (30 सर्किटों) तक सीमित होगी जिसमें केवल एक लाइसेंस प्राप्त अभिगम सेवा प्रचालक होगा ।

25.1 (ग) डायरेक्ट-इन डायलिंग पीएसटीएन कनेक्टिविटी निषिद्ध है :

25.2. अन्य सेवा प्रदाता के नेटवर्क के साथ इंटर-कनेक्शन जांच पारस्परिक समझौते द्वारा करायी जा सकती है । इंटर-कनेक्शन जांच समय-सीमा पर पारस्परिक रूप से सहमति होगी । इन जांचों के लिए लाइसेंस धारक द्वारा पर्याप्त समय दिया जाएगा जो 30 दिनों से कम नहीं होगा ।

25.3. अन्य नेटवर्कों तक अभिगम या इंटर-कनेक्शन के लिए प्रभार सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक करारों पर आधारित होगा बशर्ते कि ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत ट्राई समय-समय पर जारी किन्हीं निर्धारण, विनियमन, आदेशों या निदेश का अनुपालन हो ।

25.4. पीएमआरटीएस लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं अपना उपकरण संस्थापित करेगा ताकि अन्य सेवा/अभिगम प्रदाता के उपस्कर के साथ अनुरूपता स्थापित हो सके जिसकी ओर पीएमआरटीएस लाइसेंसधारकों की प्रयोज्य प्रणालियां इंटर-कनेक्शन के लिए लक्षित हैं ।

25.5. सुरक्षा के हित में, प्रयुक्त प्रत्येक किस्म की प्रणाली के लिए लाइसेंसदाता द्वारा यथा विहित उपयुक्त मॉनीटरिंग उपकरण मॉनीटरिंग के लिए जब कभी आवश्यक हो, लाइसेंसधारक द्वारा अपने मूल्य पर प्रदान किया जाएगा ।

26. <u>इंटरफेस</u> :

26.1 लाइसेंसप्रदाता या ट्राई द्वारा समय-समय पर दिए गए ऐसे अन्य निर्देशों के अधीन नेटवर्क-नेटवर्क इंटरफेस के संबंध में सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक रूप से तय किए जाने वाले गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हुए पीएमआरटीएस लाइसेंसधारी लाइसेंसीकृत नेटवर्क का प्रचालन और रखरखाव करेगा। किसी लाइसेंसधारी की ओर से ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता अनुबंधों और टीईसी के नेटवर्क-नेटवर्क इंटरफेस मानदंडों को पूरा करने में विफलता को लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

26.2 अंतर नेटवर्क कॉल हेतु अन्य नेटवर्कों से सुविधा प्राप्त करने संबंधी शुल्क, ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/विनियमों/दिशा-निर्देशों की पुष्टि करते हुए सेवा प्रदाताओं के बीच हुए आपसी करार पर आधारित होगा।

26.3 लाइसेंसधारी की सेवा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंतर्संयोजन नेटवर्कों के उन्नयन/आशोधन की लागत सहित नेटवर्क संसाधनों पर आपसी सहमति, ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और विनियमों के मद्देनजर होगी।

27. निष्पादन की गुणवत्ता :

27.1 लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई द्वारा विनिर्दिष्ट की गई सेवा गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा। लाइसेंसधारी इन सेवा गुणवत्ता मानकों का दृढ़ता से पालन करेगा और उनसे संबंधित अपेक्षित जानकारी समयानुसार प्रदान करेगा।

27.2 लाइसेंसधारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होगा :

(i) निष्पादन और सेवा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना

(ii) सेवा गुणवत्ता की विनिर्दिष्ट सीमा के अंदर एमटीटीआर (रिस्टोर के लिए औसत समय) को बनाए रखना।

(iii) लाइसेंसधारी सेवा के संबंध में दोषों ओर सुधार रिपोर्टों की संख्या का रिकार्ड रखेगा, जोकि जब भी और जिस रूप में अपेक्षित हो लाइसेंस प्रदाता/ट्राई के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

27.3 लाइसेंसधारी, अपने उपभोक्ताओं द्वारा दायर शिकायतों के लिए जिम्मेवार होगा। लाइसेंसधारी विनिर्दिष्ट एमटीटीआर के अंदर की विषमताओं को सुधारेगा और प्रत्येक संस्थापना, आंकडों और समग्र रखरखाव स्तर के विश्लेषण का विवरण रखेगा।

27.4 सेवा के वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी देने से पहले लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई अंतर्संयोजन जांचों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद और/अथवा लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय लाइसेंसधारी के नेटवर्क में निष्पादन संबंधी जांच और सेवा गुणवत्ता मानदंडों का मूल्यांकन कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नेटवर्क सेवा गुणवत्ता के विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है। लाइसेंसधारी इन जांचों के लिए प्रवेशाधिकार तथा उपकरणों, उपस्कर इत्यादि सहित अन्य सहायता प्रदान करेगा।

27.5 लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्रदाता/ट्राई, अवसंरचना प्रदाता(ओं) जिनके साथ वह करार/पट्टे के लिए संविदा/हायरिंग/खरीददारी अथवा अवसंरचना के प्रावधान अथवा बैंडविड्थ के प्रावधान के लिए ऐसे किसी उपकरण के लिए उपरोक्त द्वारा विहित सेवा गुणवत्ता को लागू और सुनिश्चित करेगा। सेवा गुणवत्ता की सुनिश्चितता की जिम्मेवारी लाइसेंसधारी की होगी।

28. आपातकालीन और लोक उपयोगी सेवाएं :

28.1 लाइसेंसधारक उपभोक्ताओं के नाम और पते के साथ निदेशिका सूचना सेवाओं सहित अपने उपभोक्ताओं को स्वतंत्र रूप से सभी आपातकालीन जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करेगा ।

भाग-V प्रचालन शर्तें

29. ग्राहक सेवा :

29.1 लाइसेंसधारी लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र के किसी भी स्थान के किसी भी आवेदक से बिना किसी भेदभाव के पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा संबंधी मांग/अनुरोध को पंजीकृत करेगा और सेवा प्रदान करेगा, जब तक लाइसेंसप्रदाता द्वारा अन्यथा निदेश न हो जाए। लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और समान वाणिज्यिक सिद्धांत पर सेवा उपलब्ध कराएगा तथा उसके लिए एक पारदर्शी, जांच के लिए खुली, प्रतीक्षा सूची को बनाए रखना अपेक्षित होगा। लाइसेंसधारी ऐसे उपभोक्ता(ओं) के साथ करार करते समय उपभोक्ता(ओं) को सेवा संबंधी विशेषताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर लाइसेंसप्रदाता के पास यह अधिकार है कि वह अन्य किसी कार्रवाई के अतिरिक्त उपयुक्त दंड, जो वित्तीय दंड तक सीमित नहीं होगा, लगा सकता है। लाइसेंसधारी विहित तरीके से पंजीकरण शुरू करने के पश्चात ही वाणिज्यिक आधार पर सेवा की शुरूआत करेगा। किसी क्षेत्र में सेवा आरंभ करने से पूर्व, लाइसेंसधारी को वह पता अधिसूचित और प्रचारित करना होगा, जहां कोई भी उपभोक्ता पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा के लिए मांग/अनुरोध पंजीकृत कर सके। इस पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत सूचित किया जाएगा।

बशर्ते इसमें निहित कोई बात, लाइसेंसधारी के अपने भावी उपभोक्ताओं की साख संबंधी योग्यता की जांच के अधिकार को प्रभावित और पूर्वाग्रहित नहीं करेगी।

29.2 लाइसेंसधारी सेवा प्रावधान को विस्तृत रूप से प्रचारित करेगा और लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र में मांग पंजीकरण को मना नहीं करेगा। यदि किसी आवेदक को पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा उपलब्ध कराना तकनीकी अथवा अन्य कारणों से लाइसेंसधारी के नियंत्रण के बाहर हो तो लाइसेंसधारी एक उचित समय के अंदर ऐसे मामलों में सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए प्रयास करेगा।

29.3 जब तक लाइसेंसप्रदाता किसी भी कारण से लाइसेंस को रद्द अथवा निलंबित नहीं करता, लाइसेंसधारी अपने ग्राहकों को सेवा की निरंतरता को सुनिश्चित करेगा।

29.4 यह लाइसेंसधारी की जिम्मेवारी होगी कि सेवा के उपयोग के लिए अपने-अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करे अथवा बिल जारी करवाए। मदीकृत बिलिंग सूचना उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऐसे रिकार्डों को बनाए रखेगा। लाइसेंसधारी की बिलिंग व्यवस्था से समुचित विस्तृत बिलिंग सूचना उपलब्ध होगी जिससे बिल की वास्तविकता के संबंध में ग्राहक की संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी निदेश लागू होंगे।

29.5 इस संबंध में ग्राहकों की सभी शिकायतें लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, आदेशों अथवा विनियमों अथवा निदेशों के अनुसार संबोधित/निपटाई जाएगी।

29.6 लाइसेंसधारी के संविदाकृत दायित्वों (अन्य सेवाप्रदाताओं सहित विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाता जिन्हें भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस की जरूरत नहीं है) में, वे निबंधन और शर्तें शामिल होंगी जिनके अंतर्गत सेवा प्राप्त, उपयोग और रद्द की जा सकती है।

29.7 लाइसेंसधारी मरम्मत, दोष समाधान, क्षतिपूर्ति अथवा धन वापसी से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को लिखित रूप में अधिसूचित करेगा। इस संबंध में सभी शिकायतों का समाधान/निपटान लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, आदेशों अथवा विनियमों अथवा निदेशों के अनुसार किया जाएगा।

29.8 सेवा के प्रावधान संबंधी कोई भी विवाद केवल पीड़ित पक्ष और लाइसेंसधारी के बीच का मामला होगा, लाइसेंसधारी को ये सभी बातें सेवा प्रदान करने से पहले सभी को सूचित करनी होंगी और लाइसेंसप्रदाता किसी भी मामले में किसी भी देयता अथवा उत्तरदायित्व का वहन नहीं करेगा। अतः लाइसेंसधारी सभी दावों, खर्चों, प्रभारों अथवा क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों में लाइसेंसप्रदाता को प्रतिपूर्ति से अलग रखेगा।

30. प्रयोक्ता टर्मिनल (मोबाइल टेलीफोन अथवा हैंडसैट) :

30.1 लाइसेंसधारी के पास यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ता/मोबाइल टर्मिनलों की बिक्री, किराया खरीद, पट्टा और किराया संबंधी कार्य करें। उपभोक्ता के परिसर में टर्मिनल का समुचित उपयोग लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच हुए करार के अनुसार होगा।

30.2 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी लाइसेंसधारी की होगी कि उपभोक्ता मोबाइल/टर्मिनल का प्रचालन लाइसेंस और डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार हो रहा है। उपभोक्ता टर्मिनल में सिम कार्ड अहस्तांतरणीय है।

30.3 नेटवर्क में प्रयुक्त प्रयोक्ता/मोबाइल टर्मिनल आईटीयू/ईटीएस/टीईसी मानकों या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक के सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय रूप से मान्य एजेंसी द्वारा अधिप्रमाणित प्रकार/मॉडल का होगा । उनमें ऐसे चिन्ह होना चाहिए जो ऐसी मानकों के अनुपालन का उल्लेख करें ।

30.4 उपभोक्ता अपने विकल्प पर किसी स्रोत से पीएमआरटीएस टर्मिनल प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि इस सम्बन्ध में टीईसी/ट्राई या लाइसेंसप्रदाता द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी का इंटरफेस अनुमोदन हो।

31. लाइसेंसधारी पर लागू दायित्व :

31.1 यह लाइसेंस समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और ट्राई अधिनियम, 1997 अथवा इनके स्थान पर किसी अन्य संविधि द्वारा संचालित होगा।

31.2 लाइसेंसधारी जब कभी आवश्यक हो, भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस लाइसेंस करार में कहीं भी उपबंधित तथा विहित कुछ भी, भारतीय तार अधिनियम, 1885 अथवा प्रभावी किसी अन्य कानून के उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित किसी भी चीज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

32. संस्थापना का निरीक्षण और जांच :

32.1 लाइसेंसप्रदाता यदि आवश्यक हो तो सेवा गुणवत्ता की जांच के लिए अपेक्षित सभी निष्पादन जांचों को भी करेगा। लाइसेंसधारी संस्थापित उपस्कर संबंधी सभी आवश्यक साहित्य, ड्राईंग इत्यादि और लाइसेंसप्रदाता की जांच पार्टी को जांच करने के लिए सभी उपकरण, जांच उपकरण और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारी सेवा शुरू होने से एक महीने पहले निष्पादन जांचों की सूची लाइसेंसप्रदाता को उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसप्रदाता द्वारा निष्पादन जांच करने की स्थिति में और कुछ कमियां पाए जाने पर, कमियों को सुधारने में हुई किसी भी देरी की जिम्मेवारी पूर्णतया लाइसेंसधारी की होगी।

32.2 बीएसएनएल/एमटीएनएल/अथवा अन्य सेवा प्रदाता के साथ प्रत्येक इंटरफेस की स्वीकृति जांच लाइसेंसधारी और शामिल अन्य पक्ष द्वारा आपसी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। स्वीकृति जांच सारणी पर आपसी सहमति होगी।

भाग-VI विशेष शर्तें

33. निरीक्षण का अधिकार :

33.1 लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा विस्तार के लिए प्रयुक्त साइटों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। इसे (विशेष रूप से परंतु जो इस तक सीमित नहीं है) लीज्ड लाइनों, जंक्शनों, समापन इंटरफेसों, हार्डवेयर/साफ्टवेयर, सेमीकंडक्टरों की मेमोरी, चुंबकीय और आप्टिकल किस्मों, तारशुदा या वायरलेस विकल्पों, वितरण फ्रेमों तक अभिगम का अधिकार होगा और वे निष्पादन परीक्षण संचालित करेंगें जिसमें निवेश/निर्गत प्रणालियों या टर्मिनलों के माध्यम से प्रणाली के साथ संवाद करना शामिल है। लाइसेंसधारी प्रणाली की सतत निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जैसाकि लाइसेंसप्रदाता या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मांग की जाए। सामान्यतः उपयुक्त नोटिस देने के बाद निरीक्षण किया जाएगा नोटिस सिर्फ उन परिस्थितियों में देने की जरूरत नहीं है जिनमें निरीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए।

33.2 यह पता लगाने के लिए कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन में कोई उल्लंघन किया है, लाइसेंसधारी जहां कहीं उपयुक्त समझे स्वेच्छा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर सकता है और लाइसेंसधारी ऐसी जांच में, बिना किसी रूकावट के सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

34. स्विचों की अवस्थिति :

34.1 लाइसेंसधारी अनुरोध पर, लाइसेंसप्रदाता को स्विचिंग केंद्रों, ट्रांसमिशन केंद्रों का रूटिंग ब्योरा सहित अवस्थिति ब्योरा उपलब्ध कराएगा।

34.2 लाइसेंसप्रदाता द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित सुरक्षा दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में, लाइसेंसप्रदाता के अनुमोदन के बाद उपस्कर की किसी संस्थापना के कार्यान्वयन और प्रोजेक्ट का निष्पादन किया जाएगा।

35. सूचना की गोपनीयता :

35.1 लाइसेंसधारी अपने नेटवर्क में भारी भरकम एन्क्रिप्शन उपस्कर नहीं लगाएगा। तथापि लाइसेंसधारी के नेटवर्क पर किसी भी एन्क्रिप्शन उपस्कर को लगाने और जोड़ने के लिए सरकार का पूर्व मूल्यांकन और लिखित अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

35.2 इन निबंधन और शर्तों में निहित स्थितियों के अध्यधीन लाइसेंसधारी तीसरे पक्ष और उसके व्यवसाय जिसको वह सेवा प्रदान करता है और जिससे उसने अपनी सेवा के माध्यम से सूचना प्राप्त की है, की सूचना संबंधी निजता ओर गोपनीयता की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और निम्नलिखित की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा :

(क) लाइसेंसधारी की ओर से कार्यरत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी ऐसी किसी भी सूचना का , जो तीसरे पक्ष को सेवा प्रदान करने के संबंध में आवश्यक हो, के अलावा, खुलासा या उपयोग नहीं करेगा।

(ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी सूचना, जो तीसरे पक्ष को सेवा प्रदान करने के प्रसंग में आवश्यक हो, के अलावा, को प्राप्त नहीं करेगा।

परंतु उपर्युक्त पैरा वहां लागू नहीं होगा जहां :

(क) यह सूचना किसी पक्ष विशेष से संबधित हो और उस पक्ष ने उस सूचना का खुलासा करने या उपयोग करने के संबध में लिखित सहमति दे दी हो और ऐसी सूचना का उस सहमति के अनुसार खुलासा या उपयोग किया गया हो, अथवा

(ख) यह सूचना पहले ही सार्वजनिक हो और अन्यथा मालूम हो।

35.3 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि लाइसेंसधारी और उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई भी व्यक्ति ग्राहक की सूचना संबंधी गोपनीयता का अनुपालन करे।

35.4 लाइसेंसधारी, सेवा आरंभ करने से पूर्व, लाइसेंस प्रदाता को लिखित में यह पुष्टि करेगा कि लाइसेंसधारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर लिए हैं कि वह तथा उसके कर्मचारी ग्राहक की सूचना की गोपनीयता का अनुपालन करेंगे।

36. लाइसेंसधारी के कतिपय कार्यों का निषेध :

36.1 लाइसेंसधारी यहां इस लाइसेंस के बल पर इस लाइसेंस करार में यथा परिभाषित सेवा को छोड़कर अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य नहीं करेगा।

36.2 किसी भी प्रकार का संदेह दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा में निहित कोई भी बात लाइसेंसधारी को किसी भी प्रयोज्य प्रणाली से संबंधित विज्ञापन और प्रोत्साहनवर्धक कार्यकलापों में सलंग्न होने से नहीं रोकती।

36.3 लाइसेंसधारी, देश के स्थापित कानूनों का पालन करते हुए अपने नेटवर्क से किसी भी रूप में आपत्तिजनक, अश्लील, अप्राधिकृत अथवा कोई अन्य विषय-वस्तु या हानिकारक और गैरकानूनी संदेश और संचार जो कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा इत्यादि का उल्लंघन करता हो, के संवहन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा । प्राधिकारी द्वारा ऐसे उल्लंघन संबंधी किसी विशिष्ट मामले की एक बार लाइसेंसधारी को रिपोर्ट करने के बाद, लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क से ऐसी सामग्री का परिचालन तत्काल रोका जाए।

36.3.1 लाइसेंसधारी बिना किसी विलंब के अपने उपस्कर और नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाने वाले अशांति फैलाने वाले, कष्टप्रद या विद्वेषपूर्ण कॉलों, संदेशों या संचार का पता लगाने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराएगा । इस संबंध में लाइसेंसधारी की चूक के कारण उत्पन्न किसी भी क्षति का भुगतान लाइसेंसधारी करेगा।

36.4 यदि कोई गोपनीय सूचना करार के समुचित कार्यान्वयन के लिए लाइसेंसधारी को दी जाती है तो लाइसेंसधारी और इसके कर्मचारियों तथा सेवकों के लिए इसकी गोपनीयता कायम रखना बाध्यकारी होगा।

37. सुरक्षा संबंधी शर्तें :

37.1 लाइसेंसधारी सरकार को उचित समय पर विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि जासूसी, विध्वंसात्मक क्रियाकलापों, तोड़फोड या किसी अन्य गैर कानूनी क्रियाकलाप को रोका जा सके। लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्रदाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को मांग पर, तकनीकी छानबीन और निरीक्षण के लिए स्विचिंग ट्रांसमिशिन केंद्रों, रूटों इत्यादि तक पूर्ण अभिगम उपलब्ध कराएगा जो दृश्य निरीक्षण और प्रचालन निरीक्षण हो सकता है ।

37.2 सभी विदेशी कार्मिक, जिन्हें लाइसेंसधारी के नेटवर्क की संस्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए, लाइसेंसधारी द्वारा तैनात किए जाने की संभावना है, को तैनाती से पहले सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रदान की जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

37.3 लाइसेंसधारी संचार की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संदेशों का अनधिकृत अंतरावरोधन न हो।

37.4 लाइसेंसप्रदाता के पास इन शर्तों को आशोधित करने अथवा नई शर्तें शामिल करने का अधिकार होगा, यदि यह देश की सुरक्षा और जनहित में अथवा टेलीग्राफ के समुचित संचालन के लिए आवश्यक हो।

37.5 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा की गई दूरसंचार संस्थापना सुरक्षा दृष्टि से जोखिम न हो और किसी संविधि, नियम अथवा विनियम और लोक नीति के विरूद्ध न हो।

37.6 सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसप्रदाता द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त उपयुक्त निगरानी उपस्कर लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

37.7 भारत में सेवा क्षेत्र को परिभाषित करने के प्रयोजन से लाइसेंसधारी द्वारा भौगोलिक सीमाओं का यदि कोई सही सीमांकन किया गया हो तो, उसे भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन चाहिए। भारत की स्थलीय सीमाएं, भारतीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी मानचित्र में दिए गए अनुसार होंगी।

37.8 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि वायरलेस प्रणालियां तैनात करते समय प्रयुक्त रेडियो ट्रांसमीटर भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 कि0 मी0 की दूरी पर अवस्थित और संस्थापित हो, और ऐसे रेडियो ट्रांसमीटर ऐसे तरीके से कार्य करें कि उनसे निकलने वाला सिग्नल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप या पार करने के पहले नष्ट हो जाएं तथा साथ ही ऐसी सीमा पर उचित दूरी पर उनका उपयोग न हो पाए ।

37.9 लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके नामिति के अतिरिक्त समय-समय पर लाइसेंसप्रदाता को बताए हुए केंद्रीय/राज्य सरकार के नामित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह प्रत्येक पीएमआरटीएस संस्थापना में दूरसंचार ट्रैफिक अथवा लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित नेटवर्क के किसी अन्य तकनीकी रूप से व्यवहार्य बिंदू की निगरानी कर सके। लाइसेंसधारी को इसके साथ-साथ, सरकारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कॉल की निगरानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। लाइसेंसधारी के पास हार्डवेयर और कॉल की निगरानी के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर, को लाइसेंसधारी द्वारा अपनी लागत पर, अभियांत्रित, उपलब्ध/संस्थापित और रखरखाव किया जाएगा। तथापि पीएमआरटीएस संस्थापना से निगरानी केंद्रों तक पट्टेशुदा लाइन सर्किटों और यूजर एंड हार्डवेयर जो कि उनकी पसंद पर उनके अपने परिसर में अथवा लाइसेंसधारी के परिसर में स्थापित होंगे की लागत, संबंधित सरकार वहन करेगी। यदि सुरक्षा एजेंसियां निगरानी की सुविधा के लिए लाइसेंसधारी के परिसर में उपस्कर लगाने की इच्छुक हैं तो लाइसेंसधारी इस संबंध में स्थल और प्राधिकृत सुरक्षा कार्मिकों की प्रविष्टि सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। लाइसेंसप्रदाता द्वारा दोनों के लिए डाटा और स्पीच के लिए परिभाषित इंटरफेस जरूरतें और फीचर्स तथा सुविधाएं लाइसेंसधारी द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। मौजूदा हालात में, एक साथ की जाने वाली कम से कम 210 कॉल के लिए, निगरानी उपस्कर की पूरी श्रृंखला के माध्यम से बाधारहित प्रचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी लाइसेंसधारी की है।

निगरानी कॉलों के साथ निम्नलिखित रिकार्ड भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए :

(i) की गई कॉल/कॉलिंग पार्टी पीएमआरटीएस मोबाइल/पीएसटीएन क्रमांक

(ii) इंटरसेप्शन का समय/तारीख और अवधि

(iii) लक्षित उपभोक्ताओं की जगह। इस समय लक्षित उपभोक्ताओं की जगह के लिए सेल आईडी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तथापि तकनीकी विकासों और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के पीएमआरटीएस नेटवर्क के साथ एकीकरण के आधार पर, जोकि लाइसेंसधारी के लिए बाध्यकारी है, समय-समय पर जगह की सटीकता के संबंध में लाइसेंसप्रदाता निदेश जारी कर सकता है।

(iv) पीएसटीएन/पीएलएमएन नम्बर सदि लक्षित उपभोक्ता द्वारा कॉल फारवर्डिंग फीचर का उपयोग किया गया है ।

(v) की गई किंतु संपन्न न हो पाने वाली कॉलों का डाटा रिकार्ड

(vi) कॉल डाटा रिकार्ड (सीडीआर)

विनिर्दिष्ट अवधि में सिस्टम द्वारा नियंत्रित सभी विशेष कॉलों का, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जब कभी आवश्यक हो,मांगा गया कॉल डाटा रिकार्ड लाइसेंसधारी को उपलब्ध कराना होगा।

37.10 सरकार उपयुक्त अधिसूचना द्वारा देश के कुछ क्षेत्रों में मोबाइल टर्मिनलों के उपयोग को बंद कर सकती है। लाइसेंसधारी नामित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में तत्काल और किसी भी स्थिति में, अनुरोध पर 6 घंटे के अंदर सेवा से इंकार कर सकता है। सरकार या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रतिबंधित क्षेत्रों की सटीकता का पता लगा सकता है । लाइसेंसधारी विशिष्ट क्षेत्र के अंदर मोबाइल टर्मिनल क्रियाकलाप की निगरानी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा।

37.11 लाइसेंसधारी अपने नेटवर्क में भारी भरकम एन्क्रिप्शन उपस्कर नहीं लगाएगा। लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के लिए नेटवर्क पर लगने वाले किसी भी एन्क्रिप्शन उपस्कर को लाइसेंसप्रदाता या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी से पूर्व मूल्यांकन ओर अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अपने नेटवर्क पर संचार की निजता की रक्षा और संदेश का अनधिकृत अंतरावरोधन न हो, यह सुनिश्चित करना लाइसेंसधारी की जिम्मेवारी होगी।

37.12 लाइसेंसप्रदाता को सरकार द्वारा जनहित में जारी किसी निदेश के अनुसार आपात स्थिति में/युद्ध या कम प्रभाव डालने वाले संघर्ष या किसी अन्य घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी (सेवा क्षेत्र के कुछ भाग में या पूरे क्षेत्र में) से सेवा, उपस्कर और नेटवर्क को अधिग्रहीत करने का अधिकार है। ऐसी दशाओं के तहत सरकार द्वारा जारी कोई विशिष्ट आदेश अथवा निदेश लाइसेंसधारी पर लागू होगा और उसका कठोरता से पालन किया जाएगा।

37.13 लाइसेंसधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ताओं की पूरी सूची उपलब्ध (पासवर्ड कंट्रोल सुविधा सहित) कराई जाएगी ताकि पासवर्ड की मदद से प्राधिकृत आसूचना एजेंसी किसी भी समय, सुविधानुसार उपभोक्ता सूची प्राप्त कर सके। सूची को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को जब कभी आवश्यक हो हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। लाइसेंसधारी प्रत्येक ग्राहक का उपभोक्ता के रूप में पंजीकरण करने से पहले उचित सत्यापन भी सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में समय-समय पर जारी लाइसेंसप्रदाता के अनुदेशों का सख्ती से पालन करेगा। प्रत्येक उपभोक्ता अपने स्वयं के प्रयोग के लिए यूजर टर्मिनल में प्रयुक्त सिम कार्ड के लिए पंजीकरण कराएगा । लाइसेंसधारी उपभोक्ता को यह स्पष्ट कर देगा कि यूजर टर्मिनल में उसके नाम पंजीकृत सिम कार्ड अहस्तांतरणीय है और सेवा के उचित निजी प्रयोग के लिए वह स्वयं ही जिम्मेवार होगा।

37.14 एक ग्राहक को उपभोक्ता के रूप मे पंजीकृत करने से पहले उसकी सूचना संबंधी अपेक्षित ब्योरा के लिए लाइसेंसप्रदाता द्वारा एक फार्मेट विहित किया जाएगा। ऐसे ब्योरे सेवा प्रदाताओं द्वारा एक समान रूप से रखे जा सकते हैं और जब कभी सरकारी एजेंसी मांग करे इसे सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता
है ।

37.15 लाइसेंसधारी के उपभोक्ताओं संबंधी डाटाबेस के बारे में, लाइसेंसप्रदाता या उसके प्रतिनिधि(यों) की पहुंच होगी। लाइसेंसधारी अपने उपभोक्ताओं की सूची को भी अद्यतन करेगा और यथा विहित अंतरालों पर लाइसेंसप्रदाता को इसे उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारी किसी भी विहित मौके पर लाइसेंसप्रदाता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं का ब्योरा उपलब्ध कराएगा।

37.16 लाइसेंसधारी नेटवर्क पर हुए संचार के आदान-प्रदान के संबंध में सभी वाणिज्यिक रिकार्ड को बनाए रखेगा। ऐसे रिकार्ड को लाइसेंसप्रदाता सुरक्षा कारणों से कम से कम एक वर्ष छानबीन के लिए रखेगा और शायद बाद में उसे नष्ट किया जा सकता है जब तक लाइसेंसप्रदाता द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए।

37.17 कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (सीएलआई) उपलब्ध कराई जाएगी। नेटवर्क में दुर्भावनापूर्ण कॉल की पहचान और सीएएमए के संबंध में व्यवस्था होनी चाहिए ।

37.18 (i) तकनीकी नेटवर्क प्रचालनों के मुख्य प्रभारी अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी को निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए।

(ii) अवसंरचना/नेटवर्क रूपरेखा (नेटवर्क का तकनीकी ब्योरा) का ब्योरा केवल जरूरत के आधार पर ही दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसधारी कंपनियों से जुड़े/मूल निकायों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि किसी अन्य को ऐसी सूचना उपलब्ध करानी हो तो लाइसेंसप्रदाता (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार) से निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

(iii) सुरक्षा कारणों से, लाइसेंसप्रदाता द्वारा चिन्हित/विनिर्दिष्ट ऐसे निकायों के घरेलू परियात भारत से बाहर किसी स्थान पर नहीं ले जाया/ रूट किया जाएगा ।

(iv) लाइसेंसधारी कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए, कि उपभोक्ता द्वारा एक नेटवर्क से संप्रेषित सूचना सुरक्षित और संरक्षित है, समयानुसार उपयुक्त कदम उठाएगी।

(v) लाइसेंसधारी कंपनी के गैर कानूनी अंतरावरोधन संदेशों से जुड़े अधिकारी/ निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(vi) कंपनी के बोर्ड में बहुसंख्यक निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।

(vii) अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/अथवा मुख्य वित्त अधिकारी पदों, यदि उन्हें विदेशी नागरिक धारित किए हों, के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा जांच करानी होगी। सुरक्षा जांच आवधिक रूप से अथवा वार्षिक आधार पर अपेक्षित होगी। यदि सुरक्षा जांच के दौरान कुछ प्रतिकूल पाया जाता है तो गृह मंत्रालय का निदेश लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा।

(viii) कंपनी निम्नलिखित सूचनाओं को भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी:

(क) उपभोक्ता से संबंधित कोई लेखांकन सूचना (नोट : यह सांविधिक रूप से अपेक्षित वित्तीय स्वरूप की सामग्री के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता); और

(ख) प्रयोक्ता सूचना

(ix) कंपनी को अपने उपभोक्ताओं की पता लगाने योग्य पहचान उपलब्ध करानी होगी।

(x) लाइसेंसप्रदाता अथवा लाइसेंसप्रदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर,दूरसंचार सेवा प्रदाता एक निश्चित समय पर किसी उपभोक्ता की भौगोलिक स्थिति (बीटीएस अवस्थिति) उपलब्ध कराएगा।

(xi) भारत में अनुमोदित स्थल(लों) के माध्यम से विदेश के केवल अनुमोदित स्थल(लों) को ही नेटवर्क तक रिमोट अभिगम उपलब्ध कराया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों से विचार-विमर्श कर, लाइसेंसप्रदाता (दूरसंचार विभाग) स्थल(लों) के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा।

(xii) किसी भी स्थिति में, आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और संबंद्ध (संबंधितों) को किसी रिमोट अभिगम द्वारा, लाइसेंसप्रदाता द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विधिपरक अंतरावरोधन व्यवस्था (एलआईएस), विधिपरक अंतरावरोधन निगरानी (एलआईएम), परियात का कॉल ब्योरा और ऐसे किसी संवेदनशील सेक्टर/डाटा तक पहुंच उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

(xiii) लाइसेंसधारी कंपनी को सामग्री की निगरानी के लिए रिमोट अभिगम सुविधा प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

(xiv) भारत की छोर पर नामित सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसप्रदाता को उपयुक्त तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिनमें निगरानी के प्रयोजन हेतु रिमोट अभिगम सूचना की नमूना इमेज ऑन लाइन उपलब्ध हो ।

(xv) भारत में प्रचालित नेटवर्क संबधी रिमोट अभिगम क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा परीक्षा ब्योरा छह माह की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए और अनुरोध करने पर लाइसेंसप्रदाता अथवा लाइसेंसप्रदाता द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी को उपलब्ध कराना चाहिए।

(xvi) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीयकृत अवस्थिति से विधिपरक अंतरावरोधन और निगरानी के लिए उनके उपस्कर में आवश्यक प्रावधान (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) उपलब्ध हैं।

(xvii) दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने सिस्टमों के प्रासंगिक प्रचालनों/विशेषताओं के संबंध में सतर्कता तकनीकी निगरानी (वीटीएम)/सुरक्षा एजेंसी अधिकारियों/कार्मिकों को परिचित/प्रशिक्षित करेंगे।

(xviii) लाइसेंसप्रदाता के पास यह विकल्प रहेगा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील किसी क्षेत्र में, लाइसेंसीकृत कंपनी को प्रचालन से रोक सकता है।

(xix) वॉयस और डाटा की निजता को बनाए रखने के संबंध में निगरानी, केन्द्रीय गृह सचिव या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह सचिवों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही होगी ।

(xx) परियात की निगरानी के लिए, लाइसेंसीकृत कंपनी अपने नेटवर्क और अन्य सुविधाओं सहित लेखा पुस्तिकाओं को सुरक्षा एजेंसियों को मुहैया कराएगा।

(xxi) उपर्युक्त सुरक्षा शर्तें इस लाइसेंस के तहत कवर किए गए दूरसंचार सेवाओं को प्रचालित करने वाली सभी लाइसेंसधारी कम्पनियों पर लागू होंगी चाहे एफडीआई का परिमाण जो हो।

38. भारतीय तार अधिनियम को लागू करना :

38.1 लाइसेंसधारी समय-समय पर यथा संशोधित अथवा परिवर्तित भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 को लागू करने और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तरीके अपनाएगा। सेवा, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय तार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

38.2 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसप्रदाता द्वारा सूचित केंद्र/राज्य सरकार के नामित प्राधिकारियों को समय-समय पर अपने नेटवर्क के माध्यम से संदेश के अंतरावरोधन के लिए लाइसेंसधारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

इस धारा की उपधारा (2) निम्नानुसार है :

"किसी लोक आपातकाल अथवा लोक सुरक्षा की दृष्टि की स्थिति में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से विशेष तौर पर प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि संतुष्ट हो कि, किसी टेलीग्राफ द्वारा ट्रांसमिशन के लिए लाया गया अथवा ट्रांसमिटिड अथवा प्राप्त कोई संदेश भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, बाह्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था अथवा वर्ग विशेष के किस अपराध को उकसाने वाले अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग से प्राप्त अथवा संप्रेषित कोई संदेश अथवा किसी विषय विशेष से संबंधित किसी संदेश को, यह आवश्यक समझे अथवा ऐसा शीघ्र करना आवश्यक हो कि इसे ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा अथवा इसे रोका जाए अथवा सरकार को अथवा अधिकारी को आदेश के संबंध में बताया जाए।

बशर्ते केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रत्यायित संवाददाता द्वारा भारत में प्रकाशन के लिए भेजे गए प्रेस संदेश को जब तक इस उपधारा के अंतर्गत उनके ट्रांसमिशन को निषेध न कर दिया जाए, अंतरावरोधित अथवा रोका नहीं जाएगा।"

भाग -VII डब्ल्यूपीसी विंग का लाइसेंस

39. डब्ल्यूपीसी विंग का लाइसेंस :

39.1 डब्ल्यूपीसी स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से एक अलग से विशिष्ट अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी जो उक्त अनुज्ञप्ति की भुगतान सहित विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत दूरसंचार सेवा के बेतार अवयवों की स्थापना और कब्जा और प्रचालन के लिए उपयुक्त फ्रीक्वेंसी/बैंड के उपयोग की अनुमति प्रदान करेगा। अनुज्ञप्ति की ऐसी मंजूरी सामान्य नियमावली, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी ओर इसमें शामिल आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर आधारित होगी।

39.2 इस प्रयोजन हेतु, डब्ल्यूपीसी स्कंध से उपलब्ध एक विहित आवेदन प्रपत्र में "बेतार सलाहकार, भारत सरकार, डब्ल्यूपीसी स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार भवन, 20 अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001" को अलग से एक आवेदन भेजा जाएगा।

39.3 फिक्स्ड स्टेशनों और इनके एंटीना मास्ट के संबंध में डब्ल्यूपीसी स्कंध से स्थल का निकासी प्रमाण पत्र लेना होगा जिसके लिए आवेदनकर्ता विहित आवेदन प्रपत्र में अलग से सचिव, फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) डब्ल्यूपीसी स्कंध को निम्नलिखित पते पर आवेदन भेजेंगे :

सचिव (एसएसीएफए), डब्ल्यूपीसी स्कंध,
दूरसंचार विभाग,
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संचार भवन, 20 अशोक रोड़,
नई दिल्ली-110001.

व्याख्या : फ्रीक्वेंसी आबंटन और अन्य संबधित मुद्दों/विषयों में समन्वय से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एसएसीएफए एक शीर्ष निकाय है। (साइट निकासी प्रमाण पत्र से अभिप्राय मुख्य बेतार प्रयोक्ताओं के करार से है जो कि अन्य रेडियो सिस्टम वायु जोखिमों के साथ अनुरूपता की दृष्टि से प्रस्तावित फीक्स्ड एंटीना की अवस्थिति के संबंध में है। इसके लिए अंतर-विभागीय समन्वय की जरूरत है और यह एक शामिल प्रक्रिया है) आमतौर पर साइट निकासी प्रमाण पत्र कार्य प्रक्रिया में एंटीना/मास्ट की संस्थापना और ऊंचाई की प्रकृति के अनुसार दो से छह महीने लगते हैं।

39.4 विभिन्न प्वाइंट टू प्वाइंट रेडियो लिंक की स्थापना के लिए विभिन्न एजेंसियों के लिए उद्दिष्ट फ्रीक्वेंसी बैंड, राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना (इसके पश्चात एनएफएपी-2002 कहलाएगी) में दिए गए हैं। केवल बैंड का संकेत ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की गारंटी नहीं है, इसे मामला दर मामला आधार पर समन्वित किया जाएगा।

39.5 लाइसेंसधारी रेडियो स्पेक्ट्रम के अन्य प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के लिए हानिकारक हस्तक्षेप का कारण नही बनेगा अथवा कारण की इजाजत नहीं देगा। अन्य प्रयोक्ताओं के लिए हानिकारक हस्तेक्षप को समाप्त करने के लिए लाइसेंसधारी सरकार द्वारा जारी सभी अनुदेशों और आदेशों का पालन करेगा।

39.6 लाइसेंसप्रदाता/बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध/ट्राई को यह अधिकार होगा कि वह लाइसेंस प्राधिकृत स्पेक्ट्रम प्रयोक्ताओं के साथ समय-समय पर तकनीकी पहलू से संस्थापनाओं का निरीक्षण कर सके।

(क) मेट्रो सेवा क्षेत्रः पीएमआरटीएस के लिए मेट्रो सेवा क्षेत्र निम्नानुसार होगा :-

क्रम सं0	मेट्रो सेवा क्षेत्र	कवर किए गए क्षेत्र
1.	मुम्बई मेट्रो सेवा क्षेत्र	मुम्बई, नवी मुम्बई एवं कल्याण टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र
2.	दिल्ली मेट्रो सेवा क्षेत्र	दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र
3.	कोलकाता मेट्रो सेवा क्षेत्र	कलकता टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र

(ख) सर्किल सेवा क्षेत्र (मेट्रो को छोड़कर) के लिए पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए सर्किल सेवा क्षेत्र निम्नानुसार होंगे :-

क्र0सं0	दूरसंचार सर्किल/	कवर किए गए क्षेत्र
01	प0 बंगाल	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा कोलकाता महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कवर होने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र।
02	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का येनूम क्षेत्र
03	असम	असम राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
04	बिहार	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 2000 का 30) के अनुसरण में नवनिर्मित झारखंड राज्य तथा पुनर्गठित बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
05	गुजरात	गुजरात राज्य तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र, सिल्वासा (दादर एवं नागर हवेली) के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
06	हरियाणा	फरीदाबाद एवं गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर, हरियाणा राज्य के अंतर्गत पड़ने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
07	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
08	जम्मू एवं कश्मीर	लद्दाख के स्वायत्त परिषद सहित जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
09	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
10	केरल	केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र - लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
11	मध्य प्रदेश	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 : 2000 का 28) के अनुसरण में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य तथा पुनगर्ठित मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।

12	महाराष्ट्र	मुम्बई महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, गोवा संघ राज्य क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
13	पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
14	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
15	पंजाब	पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
16	राजस्थान	राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
17	तमिलनाडु	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के एक क्षेत्र, येनूम को छोड़कर तमिलनाडु राज्य एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
18	उत्तर प्रदेश पश्चिम	उत्तराचंल राज्य का संपूर्ण क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे निम्नलिखित सीमावर्ती जिलेः- पीलीभीत, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपूरी, इटावा। इसमें गाजियाबाद और नोएडा के स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज क्षेत्र शामिल नहीं हैं।
19	उत्तर प्रदेश पूर्व	उपर्युक्त क्रम सं0 18 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शामिल संपूर्ण क्षेत्र

यह शर्त होगी कि पीएमआरटीएस लाइसेंस के लिए उपर्युक्त 6.1(ख) के तहत सर्किल सेवा क्षेत्र में फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का आवंटन विशेष सेवा क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता पर एक मात्र रूप से निर्भर होगा। डायरेक्ट इन डायलिंग पीएसटीएन कनेक्टिविटी निषिद्ध है।

अनुबंध-II

शपथ-पत्र

1 मैं..... .....आयु लगभग..... वर्ष पुत्र श्री..... निवासी.....शपथ लेता हूँ और निम्नानुसार घोषणा करता हूँ :

2. कि मैं.....(कंपनी का नाम) का..... सेवा क्षेत्र में सेवा..... का लाइसेंसधारक हूँ और मैं कंपनी.....(कंपनी का नाम) के नाम पर शपथ-पत्र देने के लिए इस कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक..... को पास किए गए संकल्प के तहत विधिवत प्राधिकृत हूँ।

3. कि भाग..... की अनुसूची..... की शर्त सं0..... के अनुपालन में, कंपनी तथा दूरसंचार विभाग के बीच हस्ताक्षरित लाइसेंस करार सं0.....के अनुबंध के अनुपालन में लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए. . . .. रु0 (रुपए.....) का भुगतान..... से ..... तक की अवधि के लिए किया जा रहा है। "राजस्व" और लाइसेंस शुल्क के परिकलन का विवरण परिशिष्ट .....(संलग्न) के अनुसार दिया गया है।

4. कि पैरा 2 व 3 की विषय-वस्तु और अनुबंध..... में दिया गया विवरण मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है तथा कंपनी के रिकार्ड पर आधारित है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

स्थान..... में दिनांक ..... को यह सत्यापित किया गया कि इस शपथ-पत्र के पैरा 1 से 3 की विषय-वस्तु और अनुबंध .....मेरी पूरी जानकारी में सत्य और सही है इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

राजस्व तथा लाइसेंस शुल्क के विवरण का प्रपत्र

----------(प्रचालक का नाम एवं पता)

----------सेवा क्षेत्र में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा

वित्त वर्ष(तिमाही) के दौरान राजस्व और लाइसेंस फीस का विवरण

.....(धन राशि रुपये में)

क्र0सं0	विवरण	पूर्व तिमाही के वास्तविक आंकड़े	वर्तमान तिमाही के वास्तविक आंकड़े	वर्तमान तिमाही तक संचयी आंकड़े
1.	सेवाओं से राजस्व			
i.	किराया			
ii.	एक्टिवेशन प्रभार			
iii.	एयर टाइम प्रभार			
iv.	पीएसटीएन प्रभार			
v.	सेवा कर			
vi.	सेवा प्रभार			
vii.	2(i) और 2(ii) की मदों में लीज/किराया/एएमसी से आय			
viii.	सेवा से कोई अन्य आय विविध प्राप्ति			
2.	ट्रेडिंग कार्य से आय (जिसमें बिक्री कर शामिल है)			
(i)	हैंड सेटों की बिक्री			
(ii)	सिमकार्डों, स्पेयर्स, उपभोग की वस्तुओं आदि सहित सहायक उपस्करों की बिक्री			
(iii)	ट्रेडिंग कार्य से कोई अन्य आय/ विविध प्राप्ति			
3.	निवेशों से आय			
i.	ब्याज से आय			
ii.	लाभांश आय			
iii.	निवेशों से कोई अन्य विविध प्राप्ति			
4.	उपभोक्ताओं से अप्रतिदेय जमा राशि			
5.	अन्य कोई प्राप्ति/विविध राजस्व			
क	लाइसेंसधारक कंपनी का सकल राजस्व (1-5 जोड़े)			
ख	घटौती			
1.	पीएसटीएन संबंधी कॉल प्रभार जिसका अन्य अभिगम दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किया गया।			
2	सरकार को भुगतान किया गया सेवा कर			
3	सरकार को भुगतान किया गया बिक्री कर			
ग	कुल कटौती (1 ख से 3 ख)			
घ	समायोजित सकल राजस्व (क-ग)			
	समायोजित सकल राजस्व के.....की दर पर राजस्व हिस्सा			

अनुबंध-III

राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संबंधी प्रपत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
.....
.....
.....

हमने..... को समाप्त तिमाही के लिए..... (प्रचालकों के नाम) के राजस्व व लाइसेंस शुल्क संबंधी संलग्न विवरण की जांच कर ली है। हमने.....को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि खाते में दर्शाए गए आंकड़ों के साथ कंपनी के राजस्व और लाइसेंस शुल्क संबंधी विवरण में दर्शाए गए..... को समाप्त तिमाही के संचयी आंकड़ों के समाधान की जांच भी की है, जिसकी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई थी। हम समझते हैं कि उपर्युक्त विवरण (और संराधन) को कंपनी व दूरसंचार विभाग के बीच हस्ताक्षरित लाइसेंस करार सं0..... के अनुसार कंपनी द्वारा सरकार को देय लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जाना है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने वे सभी सूचना और विवरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

(ii). हमारे विचार से, कंपनी के पास राजस्व के संबंध में एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो इसके आकार और कारोबार की प्रकृति के अनुरूप है। यह प्रणाली, हमारे विचार से, उचित रूप से आश्वस्त करती है कि राजस्व का कोई भी भाग बिना रिकार्ड किया हुआ नहीं है और कि सारा राजस्व उचित राशि और उचित अवधि में रिकार्ड किया जाता है।

(iii). बिक्री कर, सेवा कर के रूप में देय कोई भी राशि, निम्नलिखित.. . . . . .. के अतिरिक्त, इनके देय होने की तारीख से दो माह से अधिक की अवधि के लिए तिमाही (यों) के अंतिम दिन तक बकाया नहीं थी।

(iv). हमारे विचार से और हमारी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यह विवरण इस विषय पर उक्त लाइसेंस करार में निहित मानदंडों/दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और यह निम्नलिखित के अतिरिक्त उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर परिकलित अवधि के लिए देय राजस्व व लाइसेंस शुल्क को सच्चे व उचित रूप से दर्शाता है :

स्थान और तारीख

(हस्ताक्षर और मुहर)

* जो लागू नहीं है उसे काट दें।

अनुबंध - IV

वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए मानदंड

- लेखों को लाइसेंसधारक कंपनी द्वारा प्रचालित प्रत्येक दूरसंचार सेवा के लिए पृथक रूप से रखा जाएगा।
- प्राप्त राजस्व की किसी भी श्रेणी, जिसकी राशि कुल प्राप्त राजस्व का 5% से अधिक हो, को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा और किसी अन्य मद/श्रेणी के साथ नहीं मिलाया जाएगा
- प्राप्त राजस्व में निम्नलिखित शामिल होंगे :

क उक्त अवधि के लिए बिल में प्रभारित करने योग्य सभी राशियां

ख पिछले वर्षों के ऐसे सभी बिल जो पिछले वर्षों के लाभ व हानि संबंधी खातों (में प्रविष्टि करने) से छोड़ दिए गए थे।

ग ग्राहकों/फ्रैंचाइजियों से एकत्रित की गई कोई भी अप्रतिदेय जमा राशि जितनी कि ये उक्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते में जमा की गई हों।

- उपर्युक्त प्रत्येक मद के लिए सहायक रजिस्टर/लेजर रखे जाएंगे ताकि सत्यापन भी आसान हो सके।
- सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल रूप में दर्शाया जाएगा और छूट/घटौती का विवरण पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- उपभोक्ताओं से ली गई प्रतिभूति अथवा कोई अन्य जमा राशि प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक रूप से दर्शायी जाएगी और जो राशि प्रतिदेय के लिए देय हो गई है और जिसका भुगतान अभी नहीं किया गया है उसे भी दो श्रेणियों में प्रकट किया जाएगा अर्थात्
- 45 दिनों तक
- 45 दिनों से अधिक
- बिल किया गया, एकत्र किया गया और सरकार को भेजा गया सेवा कर पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- बिल किया गया, एकत्र किया गया और सरकार को भेजा गया बिक्री कर पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- वस्तुओं की बिक्री से हुई आय का विवरण इस प्रकार दिया जाएगा जिसमें प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत आय और बेची गई मदों की संख्या दर्शायी गई है। बेची गई वस्तुओं के मूल्य के परिकलन के साथ-साथ वस्तुसूची के मूल्यांकन का तरीका भी प्रकट किया जाएगा।
- बिक्री सकल रूप में दर्शाई जाएगी और अनुमत छूट/घटौती तथा बिक्री प्रतिफल का विवरण पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- ब्याज और लाभांश से होने वाली आय पृथक रूप से दर्शायी जाएगी, इसमें लाभ हानि खाते के आय पक्ष पर इनके प्रति किया जा रहा कोई भी खर्च शामिल नहीं है।
- स्टॉक में वृद्धि/कमी को पृथक रुप से दर्शाया जाएगा।
- पिछले वर्षों के ऋणों को यदि कोई हो, की वापसी के विवरण को घटक-वार विविध शीर्षों के तहत दर्शाया जाएगा। (यथा वे अप्रापनीय देयताएं इत्यादि जिनकी वसूली हो गई हो)
- आय का मदवार विवरण जिसे संगत व्यय के समक्ष अंकित किया गया है।

वित्तीय बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति
तार प्राधिकारी के मार्फत कार्यरत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा तार प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है)के मार्फत कार्य करते हुए.....सेवा क्षेत्र (सेवा क्षेत्र का नाम) में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवा (पीएमआरटीएस) जिसे इसके बाद सेवा कहा गया है) की स्थापना, रख-रखाव और उसके प्रचालन के लिए.....के मैसर्स.....(जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारक कहा गया है), को दिनांक .....के लाइसेंस सं0.....(जिसे इसके बाद"लाइसेंस" कहा गया है) के अनुसरण में लाइसेंस प्रदान किए जाने की सहमति प्रदान किए जाने के मद्देनजर उक्त लाइसेंस में अंतर्निहित निबंधनों एवं शर्तों पर, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त लाइसेंस के तहत **लाइसेंसधारक** द्वारा भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित उक्त लाइसेंस शुल्क तथा ऐसे अन्य शुल्क/देय राशि अथवा प्रभारों के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में.....रु0 (शब्दों में मात्र) तक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है, हम.....(बैंक के नाम और पते तथा अन्य विवरणों का उल्लेख करें) (जिसे इसके बाद "बैंक कहा गया है) **लाइसेंसधारक** के अनुरोध पर एतद्द्वारा प्राधिकारी को अपरिवर्तनीय और अप्रतिबंधित रूप से गांरटी देते हैं कि **लाइसेंसधारक** प्राधिकारी को लाइसेंस शुल्क और अन्य प्रभारों सहित, किंतु यहीं तक सीमित नहीं, सभी देय राशियों का भुगतान करेगा।

2. हम, बैंक, एतद्द्वारा इस गारंटी की अवधि बढ़ाने अथवा लाइसेंस करार के निबंधनों के अनुसार मौजूदा गारंटी के बदले नई गारंटी दिए जाने में **लाइसेंसधारक** की असफलता के कारण प्राधिकारी को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा प्राधिकारी को होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए लाइसेंस में निर्धारित अवधियों के भीतर उपर्युक्त सभी शुल्कों, बकायों और प्रभारों अथवा इनके किसी भाग का प्राधिकारी को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो.....रु0 (.....रुपये) मात्र से अधिक न हो।

3. हम, बैंक, एतद्द्वारा मात्र प्रतिभूति के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्य आभारी के रूप में प्राधिकारी को मांग पर तुरंत और बिना विलंब के ऐसी राशि जो.....रु0 (.....रुपये) मात्र से अधिक न हो, का भुगतान करने का वचन देते हैं और यह भी उल्लेख करते हैं कि दावा की गई यह राशि उक्त लाइसेंस के निबंधनों के अनुसरण में लाइसेंसधारक द्वारा शुल्क या प्रभारों या इनके किसी भाग का भुगतान नहीं किए जाने और/अथवा लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस के किन्ही निबंधनों एवं शर्तों को लाइसेंस प्रदाता (प्राधिकारी) के किसी अन्य उपाय करने के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना भंग किए जाने के कारण है।

4. हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की भी घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं कि क्या लाइसेंसधारक उक्त लाइसेंस के तहत देय उक्त लाइसेंस शुल्क या किसी अन्य शुल्क या प्रभार या इनके किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहा है, इस बारे में प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके तहत बैंक द्वारा प्राधिकारी को देय राशि अंतिम होगी और हम पर बाध्यकारी होगी।

5. **हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की भी घोषणा करते हैं और सहमति देते हैं कि** इसमें

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से --- की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त लाइसेंस के तहत और प्राधिकारी को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने और उसके दावों का निपटान किए जाने अथवा उनका निष्पादन किए जाने अथवा प्राधिकारी के इस बात से संतुष्ट हो जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा कि उक्त **लाइसेंसधारक** द्वारा उक्त लाइसेंस के अनुबंध व शर्तों का पालन समुचित रूप से किया गया है और तदनुसार गारंटी का निष्पादन कर दिया गया है।

(ख) प्राधिकारी को हमारी सहमति के बिना और यहां नीचे दिए गए हमारे दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना उक्त **लाइसेंस** के किसी निबंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त **लाइसेंसधारक** द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा किसी समय को मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा उक्त **लाइसेंसधारक** के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त **लाइसेंस** से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने अथवा उक्त लाइसेंसधारक के लिए समयावधि बढ़ाए जाने के कारण से अथवा प्राधिकारी की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा प्राधिकारी द्वारा उक्त **लाइसेंसधारक** से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभूति के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) **लाइसेंसधारक** के विरूद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे दायित्व हमारे द्वारा अथवा **लाइसेंसधारक** द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

6. हम, **बैंक** यह वचन देते हैं कि हम इस गारंटी के लागू रहने की अवधि के दौरान प्राधिकारी की लिखित रूप में पहले से ली गई सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

7. उपर्युक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, गारंटी के तहत, हमारी देयता.....रु0 तक सीमित रहेगी और हमारी गारंटी इसकी तारीख से लेकर.....वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इस गारंटी के तहत, जब तक इस तारीख अर्थात् .....तक हमसे लिखित रुप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता, इस गारंटी के तहत आपके समस्त अधिकार जब्त हो जाएंगे और हम उसके तहत अपने समस्त दायित्वों से स्वतंत्र और मुक्त हो जाएंगे।

दिनांक.....दिन.....कृते.....

(बैंक का नाम)

साक्षी :

1.....

.....

.....

2.....

.....

.....

672

अनुबंध-VI

त्रिपक्षीय करार

यह त्रिपक्षीय करार आज दिनांक.....2000 को .....पर निम्नलिखित के बीच किया गया;

भारत के राष्ट्रपति, श्री .....,उप महानिदेशक (सीएस), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली - 110001 के माध्यम से कार्य करते हुए (जिसे इसके बाद"**लाइसेंस प्रदाता**" कहा गया है)

और

....., कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय..... पर स्थित है, के दिनांक .....के बोर्ड के संकल्प की शर्तों के अनुसार दिनांक.....को निष्पादित सामान्य मुख्तारनामा के अनुसरण में विधिवत् रूप से नियुक्त अटार्नी/प्राधिकृत व्यक्ति श्री.....के माध्यम से कार्य करते हुए, (जिसे इसके बाद"**लाइसेंसधारक**" कहा गया है)

और

.....,स्वयं प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए तथा सूची में सूचीबद्ध ऋणदाताओं के एजेंट के रूप में दिनांक.....के बोर्ड के संकल्प की शर्तों के अनुसार दिनांक .....को निष्पादित सामान्य मुख्तारनामा के अनुसरण में विधिवत् रूप से नियुक्त अटार्नी/प्राधिकृत अधिकारी श्री.....के माध्मय से (जिसे इसके बाद"एजेंट" कहा गया है)।

जबकि :

(i) **लाइसेंस प्रदाता** और **लाइसेंसधारक** के मध्य दिनांक .....को हस्ताक्षरित **लाइसेंस करार** के तहत, उनके मध्य सहमत और इसमें उल्लिखित निबंधन, शर्तों और प्रसंविदा पर .....मेट्रो/सर्किल/सेवा क्षेत्र में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा की स्थापना अनुरक्षण और कार्यकरण वाली दूरसंचार परियोजना के लिए **लाइसेंस प्रदाता** ने **लाइसेंसधारक** को **लाइसेंस** प्रदान किया है।

(ii) उपर्युक्त **लाइसेंस** के अनुसरण में **लाइसेंसधारक** द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजना के लिए सहायता देने और वित्त पोषण संबंधी सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यहां पक्षकार (पार्टियां) **लाइसेंसधारक** को वित्तीय सहायता देने के कारण उत्पन्न होने वाले ऋणदाता के हितों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए इस **करार** में इसके बाद प्रावधान के अनुसार, **लाइसेंस** के अंतरण/अभिलेखबद्ध करने के इच्छुक हैं।

(iii) संबंधित ऋणदाताओं के साथ **लाइसेंसधारक** द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित ऋण **करारों** में निर्धारित निबंधनों, शर्तों और प्रसंविदा पर उनके मध्य परस्पर रूप से सहमत सीमा तक, **लाइसेंसधारक** को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऋणदाता सहमत हो गए हैं।

अब यह करार निम्नानुसार प्रमाणित करता है :

अनुच्छेद-1-परिभाषा

इस **करार** के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा :

1.1 "एजेन्ट" का तात्पर्य .....(एजेंट का नाम लिखें) भारतीय अनुसूचित बैंक/भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/बहुसंख्यक भारतीयों द्वारा नियंत्रित, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी से है, जो स्वयं के लिए कार्य करते हुए भारत में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषण का कार्य कर रही हो और जो ऐसे ऋणदाताओं के संघ, जिसने इस परियोजना के लिए **लाइसेंसधारक** को वित्तीय सहायता देने की सहमति दे दी है, के अन्य सदस्यों के लिए एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो।

[स्पष्टीकरण : **लाइसेंसधारक** की वित्तीय सहायता में भाग लेने वाले भारतीय वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक ही एजेंट के रूप में कार्य करेंगे]

1.2 "चूक की घटना" का तात्पर्य निम्नलिखित किसी भी घटना का घटित होना है :-

(i) **लाइसेंसधारक** द्वारा **लाइसेंस करार** के अंतर्गत, **लाइसेंस प्रदाता** को विधिवत् रूप से देय **लाइसेंस** शुल्क अथवा अन्य बकायों के भुगतान में चूक।

(ii) ऋण **करार** के निबंधन और शर्तों में वास्तविक (मैटिरियल) चूक ।

[स्पष्टीकरण :"वास्तविक (मैटिरियल) चूक" का तात्पर्य ऋण **करार** के अंतर्गत **लाइसेंसधारक** द्वारा एक माह की न्यूनतम अवधि तक मूलधन अथवा ब्याज या दोनों के किन्हीं दो तिमाही किस्तों अथवा एक अर्धवार्षिक किस्त के भुगतान में लगातार चूक से होगा अथवा **लाइसेंसधारक** द्वारा ऋण **करार** के निबंधन और शर्तों का किसी प्रकार उल्लंघन करने अथवा **लाइसेंसधारक** द्वारा ऋणदाता के पक्ष में विधिवत् रूप से निष्पादित किन्हीं अन्य दस्तावेज के उल्लंघन करने से होगा जिससे एजेंट के सुविचारित मत से परियोजना के कार्य या संचालन संबंधी **लाइसेंसधारक** की क्षमता पर प्रतिकूल और वास्तविक प्रभाव पड़ने की संभावना है।)

1.3 "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य ऋण **करार** और/या इसकी अनुसूची में उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में संबंधित किसी प्रकार के अन्य **करारों** के अंतर्गत ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता अथवा वित्तीय सहायता के लिए दी जाने वाली सहमति अथवा ऋणदाताओं को देय किसी प्रकार की राशि से है।

1.4 **"लाइसेंस"** का तात्पर्य **लाइसेंसधारक** द्वारा .....सेवा के प्रचालन के लिए जिसमें समय-समय पर इसमें किए गए किसी प्रकार के संशोधन शामिल हैं, ...सेवा क्षेत्र के संबंध में **लाइसेंस प्रदाता** और **लाइसेंसधारक** बीच दिनांक.....को हस्ताक्षरित **लाइसेंस करार** के अंतर्गत **लाइसेंस** से है।

1.5 "ऋणदाता" का तात्पर्य इसकी अनुसूची में उल्लिखित पक्षकारों से है जिनमें किसी सिंडिकेट के सदस्य अथवा किसी सिंडिकेट में भागीदार ऋणदाता/वित्त पोषण की हिस्सेदारी करने वाले भी शामिल हैं।

1.6 "ऋणदाता की देयताएं" का तात्पर्य परियोजना के संबंध में **लाइसेंसधारक** द्वारा ऋणदाताओं से उधार ली गई संपूर्ण राशि से है, चाहे वह ऋण **करार** अथवा परियोजना से संबंधित अन्य संबंधित **करारों** के अंतर्गत देय हो या न हो।

1.7 "ऋण **करार**" का तात्पर्य इसकी अनुसूची में उल्लिखित और वित्तीय सहायता से संबंधित ऋणदाता अथवा ऋणदाताओं और **लाइसेंसधारक** के बीच हस्ताक्षरित/हस्ताक्षरित किए जाने वाले **करारों** से है।

1.8 "परियोजना" का तात्पर्य .....मेट्रो/सर्किल/सेवा क्षेत्र में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए लाइसेंसधारक की पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा परियोजना से है।

1.9 "चुनी गई कंपनी" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 की परिभाषा के अंतर्गत ऐसी भारतीय कंपनी से है जिसे ऋणदाताओं द्वारा चुना गया हो तथा इस **करार** में यथा प्रदत **लाइसेंस** के समनुदेशन/अंतरण के प्रयोजनार्थ **लाइसेंस प्रदाता** को प्रस्तावित किया गया हो।

अनुच्छेद-2

वित्तीय सहायता हेतु प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस का अंतरण अथवा उसे सौंपा जाना

2.1 लाइसेंस प्रदाता एतद्द्वारा इसके तहत अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसरण में उधारदाताओं द्वारा चुनी गई कंपनी के पक्ष में लाइसेंस का अंतरण करने अथवा उस पर पृष्ठांकन द्वारा उसे सौंपे जाने की सहमति प्रदान करता है बशर्ते कि इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात से उधारदाता लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारक के रूप में स्वयं अथवा सामूहिक रूप में सेवा का प्रचालन करने का हकदार नहीं होगा।

2.2(क) एजेंट किसी महत्वपूर्ण चूक की घटना घटित होने के विषय में लाइसेंसधारक को अधिसूचित करेगा और साथ ही लाइसेंस प्रदाता के सूचित करेगा और लाइसेंसधारक से यह अपेक्षित होगा कि वह ऐसे नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसका उपचार और सुधार करे।

(ख) चूक की घटना का नोटिस ऋण करार के तहत ऐसी चूक की घटना के लिए निर्णायक प्रमाण होगा और इस करार के प्रयोजनार्थ अंतिम और लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी होगा।

(ग) लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंसधारक एतद्द्वारा इस बात पर सहमति देते हैं कि चूक की घटना के नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद यदि लाइसेंसधारक चूक का उपचार अथवा सुधार कर पाने में असफल रहता है अथवा असमर्थ रहता है तो उधारदाता लाइसेंसधारक के लाइसेंस सहित उसकी परियोजना से संबंधित समस्त परिसंपत्तियों के साथ-साथ परियोजना को अधिकार में लेने और चुनी गई कंपनी को, लाइसेंस करार के तहत लाइसेंस प्रदाता के प्रति और उधारदाता के प्रति उनके संबंधित ऋण करारों के तहत, लाइसेंसधारक के दायित्वों और उसकी बाध्यताओं के विषय में ऐसी चुनी गई कंपनी के पूर्वानुमान पर उनका अंतरण करने के लिए, प्रस्ताव अथवा निविदाएं आमंत्रित करने, उसका सौदा करने और उनको प्राप्त करने का कार्य कर सकता है।

2.3 चुनी गई कंपनी को परियोजना की परिसंपत्तियों के अंतरण हेतु निम्नलिखित पात्रता मानक पूरे करने होंगे।

(क) चुनी गई कंपनी लाइसेंस करार के तहत कर्त्तव्यों, देयताओं और दायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन करने में समर्थ होगी।

(ख) चुनी गई कंपनी वित्तीय सहायता हेतु उधारदाताओं की संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ होगी और वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करेगी।

(ग) चुनी गई कंपनी लाइसेंस प्रदाता को देय अन्य राशियों तथा उधारदाता को देय राशियों सहित लाइसेंस शुल्क की देयता ग्रहण करने में समर्थ होगी और वह इसकी आवश्यक सहमति देगी।

(घ) चुनी गई कंपनी अंतरण का प्रस्ताव तैयार किए जाने के समय उन सभी नेटवर्थ और अनुभव संबंधी मानकों तथा तकनीकी एवं इक्विटी संबंधी मानदंडों को पूरा करेगी जो लाइसेंसधारक के चयन हेतु अपनाए गए थे।

(ङ) ऐसी किसी कंपनी अथवा उसकी सहयोगी कंपनी का चयन नहीं किया जाना चाहिए जिसे कोई लाइसेंस प्रदान किया गया था/है और जो चूककर्ता थी/चूककर्ता बन गई।

(च) कोई अन्य समुचित मानक, जो लाइसेंस प्रदाता द्वारा सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय-समय पर निर्धारित किए जाएं।

2.4 अनुच्छेद 2.2 के अनुसरण में, एजेंट लाइसेंस का अंतरण/सुपुर्दगी करवाने के लिए जिसकी प्राप्ति उसका अधिकार बनता है लाइसेंस प्रदाता को अधिसूचित करेगा और लाइसेंस प्रदाता उसका रिकार्ड रखेगा।

2.5 इस करार के अनुसार, चुनी गई कंपनी को लाइसेंस का अंतरण अथवा सुपुर्दगी किए जाने से पूर्व लाइसेंस प्रदाता अनुच्छेद 2.3 के तहत पात्रता संबंधी मानदंडों के विषय में स्वयं को संतुष्ट करेगा और इस संबंध में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

अनुच्छेद-3
लाइसेंस के अंतरण/सुपुर्दगी और पृष्ठांकन का तरीका

3.1 लाइसेंस का अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन करवाने वाले एजेंट के लिए इसका तौर-तरीका नीचे दी गई व्यवस्था के अनुसार होगा :

(i) अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, एजेंट नोटिस की तारीख 30 दिन पूरे हो जाने के बाद, चुनी गई कंपनी द्वारा उधारदाता की देय राशि और लाइसेंस प्रदाता की देय राशि के साथ-साथ परियोजना से संबंधित लाइसेंसधारक के लाइसेंस सहित परिसंपत्तियों का अंतरण करवाने अथवा उनको अधिकार में लेने के लिए या तो निजी तौर पर मोल-तोल करने अथवा सार्वजनिक नीलामी या निविदाओं द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव आमंत्रित, प्राप्त कर सकता है और उसका मोल-तोल कर सकता है।

(ii) एजेंट उधारदाताओं की ओर से लाइसेंस प्रदाता को उसकी स्वीकृति हेतु चुनी जाने वाली कंपनी के नाम की सिफारिश करेगा और लाइसेंस प्रदाता को निम्नलिखित के लिए अनुरोध करेगा :

क) उधारदाताओं और चुनी गई कंपनी के बीच जिन शर्तों पर सहमति हुई हो उनके अनुसार परियोजना के नेटवर्क के प्रचालन का अधिकार चुनी गई कंपनी को अंतरित करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु ।

ख) मूल लाइसेंस की अवशेष अवधि के लिए समान निबंधनों एवं शर्तों पर, चुनी गई कंपनी को लाइसेंस के पृष्ठांकन और अंतरण हेतु ।

ग) इस करार में यथा-अंतर्विष्ट समान निबंधनों एवं शर्तों पर उधारदाताओं और चुनी गई कंपनी के साथ त्रिपक्षीय करार करने हेतु ।

(घ) चुनी गई कंपनी द्वारा दिए गए उपयुक्त आवेदनों के आधार पर सेवा के प्रचालन हेतु आवश्यक डब्ल्यूपीसी, साकफा तथा अन्य अनुमोदनों, क्लीयरेंस, अनुमतियां प्रदान कराने की सुविधा प्रदान करने हेतु।

(iii) लाइसेंस प्रदाता अनुच्छेद 2.3 और 2.5 के अनुसार निर्दिष्ट और निर्धारित नेटवर्थ, अनुभव, तकनीकी और इक्विटी पैरामीटरों जैसे मानकों की संतुष्टि की शर्त के अध्यधीन और अनुच्छेद 2.2 (ग) में किए गए उपबंध के अनुसार चुनी गई कंपनी द्वारा देयताओं को ग्रहण किए जाने के आधार पर, अवशेष अवधि के लिए, चुनी गई कंपनी के पक्ष में, लाइसेंस करार में यथा-अंतर्विष्ट समान निबंधनों और शर्तों पर, चुनी गई कंपनी को मौजूदा लाइसेंस के पृष्ठांकन द्वारा अंतरण/सुपुर्दगी की कार्रवाई करेगा।

(iv) यदि लाइसेंस प्रदाता को, इस करार के अनुसार चुनी गई कंपनी के पक्ष में लाइसेंस का अंतरण करने में कोई आपत्ति हो तो, वह या तो एजेंट द्वारा किया गया प्रस्ताव लाइसेंस प्रदाता को प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अथवा लाइसेंस प्रदाता द्वारा एजेंट से मांगे गए किसी स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख, इनमें जो तारीख बाद में पड़े, तक अपनी अस्वीकृति हेतु, एजेंट की सुनवाई करने के बाद एक तर्कसंगत आदेश देगा। यदि लाइसेंस प्रदाता द्वारा, चुनी जाने वाली कंपनी के चयन हेतु, उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो सांयोगिक अथवा जानबूझ कर दी गई चूक अथवा इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाए जाने के मामलों को छोड़कर, चुनी गई कंपनी को स्वीकार कर लिया माना जाएगा। इसके आधार पर लाइसेंस प्रदाता इसकी स्वीकृति/चुनी गई कंपनी के बारे में मान ली गई स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर लाइसेंस का अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन कर देगा।

तथापि, यह इस शर्त के अधीन है कि उपर्युक्त बातों के अनुसार अस्वीकृति होने की स्थिति में, एजेंट किसी अन्य चुनी जाने वाली कंपनी का प्रस्ताव कर सकता है जिसके आधार पर, उसकी स्वीकृति के लिए, इस करार में उल्लिखित प्रक्रिया की एक बार पुनः पुनरावृत्ति की जाएगी और उसका अनुपालन किया जाएगा।

(v) चुनी जाने वाली कंपनी का चयन किए जाने में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा और लाइसेंसधारक और उधारदाता/एजेंट पर बाध्यकारी होगा।

(vi) इस करार के अनुसार एजेंट द्वारा की जाने वाली समस्त कार्रवाई उधारदाताओं के हित के लिए होगी और उधारदाताओं पर बाध्यकारी होगी। इस करार के अनुसार, एजेंट परियोजना के अंतरण हेतु क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिफल के कारण मिलने वाला भुगतान प्राप्त करने के लिए और सभी उधारदाताओं के लिए और उनकी ओर से इसका वैध रुप से निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है। एजेंट द्वारा इस प्रकार प्राप्त की गई समस्त धनराशि उसके द्वारा अमानत के रूप में रखी जाएगी और उसे उधारदाताओं के बीच पारस्परिक रूप से की गई व्यवस्था द्वारा यथा-संशोधित ऋण करारों के तहत उनके संबंधित अधिकारों के अनुसार वितरित किए जाने के लिए उधारदाताओं को सौंप दी जाएगी।

3.2 जब तक लाइसेंस प्रदाता द्वारा अन्यथा रुप से इस बात की सहमति न दी जाए, किसी चुनी जाने वाली कंपनी के चयन हेतु अनुच्छेद 3.1 में यथा-निर्धारित समस्त कार्रवाई, चाहे वह पहला अवसर हो अथवा बाद के अवसर हों और चुनी जाने वाली कंपनी के पक्ष में लाइसेंस के अंतरण हेतु लाइसेंस प्रदाता को अंतिम रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कार्रवाई एजेंट द्वारा चूक की स्थिति की सूचना देने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अथवा ऐसी अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी जिसकी लाइसेंस प्रदाता और एजेंट द्वारा पारस्परिक रुप से स्वीकृति दी गई है।

3.3 लाइसेंसधारक चुनी गई कंपनी के पक्ष में लाइसेंस की सुपुर्दगी/ अंतरण की कार्रवाई सहित इस करार के अनुसार एजेंट अथवा उधारदाता अथवा लाइसेंस प्रदाता की गई कार्रवाई को अपरिवर्तनीय रुप से स्वीकृति प्रदान करता है और उसे चुनौती देने के किसी अधिकार का अधित्याग करता है। लाइसेंसधारक इस बात से सहमत है और यह पुष्टि करता है कि इसे परियोजना की परिसंपत्तियों और लाइसेंसधारक के शेयरों का पुनर्मूल्यांकन करवाने का कोई अधिकार नहीं होगा। लाइसेंसधारक द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि उधारदाताओं का अधिकार अपरिवर्तनीय है और किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में इस पर विवाद नहीं किया जाएगा और लाइसेंसधारक को, उधारदाताओं द्वारा एजेंट के माध्यम से किए गए अनुरोध के अनुसार, लाइसेंस प्रदाता अथवा उधारदाताओं को लाइसेंस के अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन को कार्यान्वित करने/प्रेरित करने से रोकने, उसमें बाधा डालने, निषेधाज्ञा देने अथवा उसका निरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा और वह उसकी उपचारात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। इसमें अंतर्विष्ट किन्हीं अन्य बातों के होते हुए, अनुच्छेद 7.11 के उपबंध लागू होते रहेंगे।

3.4 यदि लाइसेंस प्रदाता लाइसेंस का अंतरण चुनी गई कंपनी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को करने का निर्णय करता है तो वह भावी अंतरितियों अथवा जिनको सुपुर्दगी की जानी है उन व्यक्तियों से बोलियां आमंत्रित करते समय उधारदाता को देय राशि और साथ ही लाइसेंस प्रदाता को देय राशि का ध्यान रखेगा और ऐसे अंतरिती अथवा जिसको सुपुर्दगी की जानी है उस व्यक्ति द्वारा उधारदाता को देय राशि का भुगतान किए जाने अथवा उसका दायित्व लेने के लिए उधारदाता की सहमति से उसमें उपयुक्त शर्त को शामिल करेगा। ऐसे अंतरिती अथवा जिस व्यक्ति को सुपुर्दगी की गई है उसके पास यह विकल्प होगा कि वह उधारदाता के ऋण का पूर्ण रुप से पुनः भुगतान करे अथवा यदि उधारदाता को देय राशि बकाया रह जाती है और उसका निपटान नहीं किया जाता है तो इस करार के समान एक त्रिपक्षीय करार का निष्पादन करे।

3.5 यदि चुने जाने के लिए कोई कंपनी (उपर्युक्त अनुच्छेद 3.4 में की गई व्यवस्था के अनुसार नया/वैकल्पिक लाइसेंसधारक) नहीं मिलती है तो लाइसेंस करार समाप्त हो जाएगा और प्रथम उत्तरदायित्व/अधिकार/वरीयता वाले लाइसेंस प्रदाता को, उसे देय राशि की वसूली हेतु, चूककर्ता लाइसेंसधारक की परिसंपत्ति/बुनियादी ढांचे का विक्रय करके, ऐसे विक्रय से होने वाली आय से करना होगा। इस प्रकार के विक्रय की आय से करना होगा। इस प्रकार के विक्रय की आय यदि शेष बची तो उसका उपयोग यथासंभव उधारदाताओं को देय राशि की क्षतिपूर्ति करने के लिए किया जाएगा यदि और कुछ राशि शेष बची तो वह चूककर्ता लाइसेंसधारक को दे दी जाएगी। चूककर्ता लाइसेंसधारक, मौजूदा बाजारी शक्तियों के अनुसार समस्त सुधारात्मक उपायों की लागत हेतु लाइसेंस प्रदाता के प्रति उत्तरदायी होगा और प्रत्येक दृष्टि से लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

3.6 यह शर्त सर्वदा रहेगी कि इस करार में किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि लाइसेंस प्रदाता ने कोई गारंटी अथवा जमानत दी है और सुस्पष्ट तौर पर इस बात की सहमति दी है कि लाइसेंस प्रदाता ने उधारदाताओं द्वारा लाइसेंसधारकों को दी गई अथवा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की वसूली हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से कोई जमानत, गारंटी अथवा काउंटर गारंटी नहीं दी है।

अनुच्छेद-4
सेवा का अंतरिम संरक्षण
और प्रतिभूति का परिरक्षण

4. यहां ऊपर उल्लिखित बातों के अनुसार अथवा ऐसी अन्य परिस्थितियों, जिनमें एजेंट के सुविचारित मत के अनुसार उधारदाता की जमानत पर प्रतिकूल और पर्याप्त रुप से दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना हो, उसमें एजेंट द्वारा चूक की स्थिति का नोटिस जारी किए जाने पर (और लाइसेंसधारक द्वारा 30 दिनों के भीतर उसका उपचार नहीं किए जाने पर) उधारदाता अपनी जमानत के परिरक्षण और संरक्षण हेतु आदाता बने रहने के लिए एहतियाती कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा। यहां किए गए प्रावधान के अनुसार, एजेंट प्रथमतः लाइसेंस के अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन के लंबित रहते हुए ऐसे आदाता का उत्तरदायित्व ग्रहण करने और सेवा का प्रचालन करने के लिए लाइसेंस प्रदाता को अधिसूचित करेगा परंतु लाइसेंस प्रदाता द्वारा आदाता का उत्तरदायित्व ग्रहण कराने से अस्वीकार किए जाने की स्थिति में उधारदाता इस करार के अनुसार, लाइसेंस प्रदाता द्वारा लाइसेंस के अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन किए जाने के कार्य के लंबित रहते हुए, न्यायालय के हस्तक्षेप से अथवा हस्तक्षेप के बिना, परियोजना और प्राप्य राशि के आदाता की नियुक्ति करने का हकदार होगा। आदाता के रुप में नियुक्ति किसी चुनी जाने वाली कंपनी को लाइसेंस के अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन के साथ को-टर्मिनस होगी। अभिग्राही अभिग्राहिता की परिसंपत्तियों को संरक्षित करने एवं एजेंट की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अभिग्राहिता के उचित एवं सही लेखा को एजेंट को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। अभिग्राही नेटवर्क के उपभोक्ता आधार को संरक्षित करने तथा लाइसेंस दायित्वों के अनुरूप सेवा को जारी रखने के लिए यथासंभव प्रयास करेगा। ऐसे अभिग्राही की नियुक्ति लाइसेंसदाता एवं ऋणदाताओं की सहमति से, जैसाकि इसके अंतर्गत उल्लिखित है या अभिग्राही की नियुक्ति संबंधी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत की जा सकती है, चाहे ऋणदाताओं द्वारा कोई भी वसूली या बंधक संबंधी दावा नहीं किया गया हो या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी कार्यवाही या मुकदमा द्वारा दायर नहीं किया गया हो। अभिग्राही या कोर्ट अभिग्राही की नियुक्ति संबंधी ऐसी कोई कार्रवाई, जो ऊपर उल्लिखित है, ऋण करारों के तहत ऋणदाता के अन्य अधिकारों एवं उपचारों के प्रतिकूल नहीं होगा।

अनुच्छेद 5
लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंस को समाप्त किया जाना

5.1 यदि लाइसेंस करार के अंतर्गत ऐसी कोई बात होती है जिससे लाइसेंसदाता लाइसेंस को समाप्त करने के लिए अधिकृत हो जाए तो लाइसेंसदाता को लाइसेंस समाप्त करने का निर्णय लेने से पूर्व एजेंट को सूचित करना होगा तथा ऋणदाता ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात इन बाधाओं को लाइसेंसदाता से नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर यदि उनके द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है, दूर कर सकते हैं अन्यथा लाइसेंसदाता लाइसेंसधारी या एजेंट को आगे सूचना दिए बिना ही लाइसेंस करार को समाप्त करने के लिए अधिकृत होगा, जो ऋणदाताओं के क्षतिपूति (लाइसेंसदाता के देयताओं यदि कोई हो, के निपटान के बाद) प्राप्ति संबंधी अधिकार के अध्यधीन होगा।

5.2 एजेंट, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने पर ऐसी किसी घटना, जिसकी वजह से लाइसेंस को समाप्त किया जा सकता है, के घटित होने के बारे में सूचित करते हुए, जैसाकि अनुच्छेद 5.1 में उल्लिखित है, ऐसी नोटिस को "चूक की स्थिति" का रूप देने के लिए तत्काल कदम उठाएगा तथा वह उपर्युक्त अनुच्छेद 2 एवं 3 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार भावी चयनित व्यक्ति द्वारा लाइसेंसधारी की परियोजना को हाथ में लेने या हस्तांतरित करने हेतु ऑफर को आमंत्रित परक्रामित एवं अधिप्रापित करने संबंधी कदम उठाएगा।

अनुच्छेद 6
ऋणदाताओं का क्षतिपूर्ति का अधिकार

6.1 लाइसेंसधारी ऋणदाताओं को दी जाने वाली ऐसी किसी क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु एतद्द्वारा, लाइसेंसधारी द्वारा ऋणदाताओं/लाइसेंसदाता के विरूद्ध किसी प्रकार के विवाद या आपत्ति या दावा के विचाराधीन होने की संभावना के होते हुए भी, स्पष्ट रूप से प्राधिकृत करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार ऋणदाताओं को सीधे किया गया भुगतान या किया जाने वाला भुगतान लाइसेंसधारी को ऋणदाताओं को प्राप्त भुगतान की राशि की सीमा तक वैध उन्मोचन प्रदान करेगा। ऐसे सभी भुगतान ऋणदाताओं के पक्ष में होंगे तथा उनके द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, जिनमें लाइसेंसधारी द्वारा परिसंपत्तियों के लिए नियुक्त परिसमापक या प्राप्तकर्त्ता शामिल नहीं हो।

6.2 लाइसेंसधारी, लाइसेंसदाता एवं ऋणदाताओं के देयताओं तथा चयनित व्यक्ति को नेटवर्क के अंतरण से संबंद्ध अन्य प्रत्यक्ष शुल्कों या प्रभारों के भुगतान जिसका भुगतान मूल राशि में से की जा चुकी हो, के पश्चात शेष बची राशि को प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

अनुच्छेद 7
सामान्य

7.1 पक्षकार एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हैं और प्रमाणित करती हैं कि वे इस त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए पूर्णतः समर्थ हैं तथा एजेंट ऋणदाताओं के कंसोर्टियम के सदस्यों के लिए एवं उनकी ओर से त्रिपक्षीय करार में भागीदार होने के लिए पूर्णतः प्राधिकृत है

7.2 इस करार के अंतर्गत नोटिस सर्वप्रथम उपर्युक्त उल्लिखित प्रेषितियों को भेजे जाएंगें। किसी भी पार्टी के पते में होने वाले परिवर्तन को पावती सहित पंजीकृत डाक से अधिसूचित किया जाएगा, जिसे अन्य पार्टियों को जारी किया जाएगा। विधिवत अधिसूचित करके पंजीकृत डाक, जिसमें पावती वापस प्राप्त होनी हो, के माध्यम से अन्य पक्षकारों को वितरित किया जाएगा।

7.3 इस करार में पहले प्रयुक्त पदों "लाइसेंसदाता," "लाइसेंसधारी," "ऋणदाताओं" एवं "एजेंट" को तात्पर्य जब तक कि करार में उल्लिखित विषय-वस्तु या संदर्भ से कुछ असंगत न हो जाए, उनके संबंधित प्रतिस्थापनों, उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों, प्रशासकों एवं अनुमत समनुदेशितों से भी होगा।

7.4 यह करार किसी ऋणदाता या एजेंट या उत्तराधिकारी की पुनर्व्यवस्था से प्रभावित नहीं होगा तथा ऐसे ऋणदाता या एजेंट के हित में उत्तराधिकारी को इस करार का लाभ मिलेगा।

7.5 इस करार में किया गया संशोधन या परिवर्तन उस समय प्रभावी होगा जब ऐसा परिवर्तन या संशोधन संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए।

7.6 लाइसेंसधारक को इस करार या परियोजना के अंतरण या समनुदेशन के किसी विलेख के अनुसार यथा लागू सभी स्टांप शुल्कों या अन्य चुंगियों, लागतों, प्रभारों एवं खर्चों का वहन करने के लिए आबद्ध होगा तथा ऋणदाताओं द्वारा अस्थायी रूप से यह भुगतान किए जाने की स्थिति में भुगतान की इस राशि को ऋणदाताओं की देयताओं की राशि भाग माना जाएगा।

7.7 सभी पक्ष इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस करार के पूर्ण रूप से एवं उचित रूप से प्रभावी होने के प्रयोजनार्थ लाइसेंस करार एवं इस करार को एक साथ पढ़ा जाएगा एवं सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाएगा।

7.8 इस करार के अंतर्गत एजेंट के परामर्श, सिफारिश या अनुमोदन को हमेशा प्रत्येक संबंधित ऋणदाता का परामर्श, सिफारिश या अनुमोदन के रूप में माना जाएगा।

7.9 इस करार में अंतनिर्हित किन्हीं तथ्यों के होते हुए भी क्रमशः लाइसेंस करार एवं अंतर्संयोजन करार के अंतर्गत लाइसेंसकर्ता को प्राप्त अधिकार एवं प्रतिविधान संरक्षित और अप्रभावित रहेंगे।

7.10 ऋणदातओं के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे इस करार के उपबंधों को लागू करने के पूर्व वे अपने किसी उपचार को लागू करें या निःशेष करें।

7.11(i) इस करार से या इसके संबंध में उत्पन्न किसी विवाद, मतभेद या दावा का निर्णय विवाचन के आधार पर किया जाएगा तथा यह निर्णय (भारत के) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी संशोधन या पुनर्धिनियम के अध्यधीन होगा एवं भारत के कानून के तहत विनियमित होगा। विवाचन का स्थान नई दिल्ली होगा तथा ऐसे विवाचन करार या अधिनिर्णय या परियोजना की संपत्ति या परिसंपत्तियों से संबंधित किसी मामले में निर्णय करने का न्यायाधिकार नई दिल्ली स्थिति न्यायालयों का ही होगा।

(ii) विवाचन कराने के पूर्व, सभी पक्षों के ऊपर उल्लिखित विवाद या मतभेद या दावे संबंधित मामले को सद्भावपूर्वक एवं आपसी समझौते से निपटाने का प्रयास करना होगा तथा समझौते से मामले का समाधान नहीं होने पर विवाचन का सहारा लिया जाएगा।

(iii) प्रत्येक पक्ष किसी विवाद, मतभेद या दावे से संबंधित मामले के निपटान के लिए विवाचक नियुक्त करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ गठित विवाचक अधिकरण अंतिम विवाचक की नियुक्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर अधिनिर्णय देगा। इन नियुक्त विवाचकों की संख्या सम होने की स्थिति में ये विवाचक दूसरे विवाचक का चयन आपसी सहमति से करेंगे, जो विवाचक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।

अनुसूची

ऋणदाताओं की सूची एवं ऋणों के ब्यौरे

क. ऋणदाताओं एवं ऋण राशि/वित्तीय सहायता की सूची

ऋणदाताओं के नाम	ऋण की राशि	ऋण करार की तिथि

ख. ऋणों के संघटन/भागीदारी के ब्यौरे

ग. सभी पक्षों ने ऊपर उल्लिखित तिथि, माह एवं वर्ष को निम्नलिखित गवाहों के समक्ष सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर किए हैं और अपने-अपने मोहर लगाए हैं।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप महानिदेशक (सीएस) के द्वारा निम्नलिखित के समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं, मोहर लगाए हैं, जारी किए गए हैं :

तथा

अन्य ऋणदाताओं के एजेंट के रूप में .....की ओर से .....के नियुक्त अटॉर्नी विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी श्री..... द्वारा.....के समक्ष हस्ताक्षरित एवं जारी

तथा

(.....)

.....लिमिटेड ने निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसरण में तथा उनके द्वारा.....2007 की .....तारीख को स्वीकृत साझा मोहर को श्री.....एवं श्री.....के समक्ष लगाया है, जिन्होंने इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर किए हैं।

शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषा

1. **प्रयोज्य प्रणालियां:** "प्रयोज्य प्रणालियों" से आशय लाइसेंस करार की प्रचालन संबंधी, तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं तथा अन्य निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार एनालॉग/डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा प्रदान करने के लिए निर्मित समस्त आवश्यक उपस्कर/ उप प्रणालियों से है।

2. **लेखा परीक्षक** से आशय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ तथा इसकी अपेक्षाओं के अनुरूप अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक से है।

3. **बीएसएनएल** से आशय दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड और/अथवा इसके उत्तराधिकारियों से है।

4. **"संपर्कसाध्य (कनेक्टेबल) प्रणाली"** से आशय ऐसी दूरसंचार प्रणाली से है जिसे सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस के तहत प्राधिकृत किया जाता है और प्रयोज्य प्रणाली से जोड़े जाने के लिए प्राधिकृत होती है।

5. **"डीओटी"** से आशय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से है।

7. **"प्रभावी तारीख" :** प्रभावी तारीख वह तारीख है जिस तारीख को पक्षकारों द्वारा इस लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह लाइसेंस लाइसेंस के प्रभावी होने की तारीख से लागू हो जाएगा। जिन लाइसेंसधारकों ने पुरानी लाइसेंस व्यवस्था से स्थानांतरित होकर नई लाइसेंस व्यवस्था को अपनाया है उनके लिए उनके लाइसेंस की प्रभावी तारीख मूल लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख होगी।

8. आपात स्थिति से आशय बड़ी दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और ऐसी घटनाओं, जिनमें टॉक्सिक अथवा रेडियो एक्टिव सामग्री शामिल है, सहित किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से है।

9. किसी स्थान से संबंधित आपातकालीन सेवाओं से आशय उस स्थान के लिए संबंधित सार्वजनिक, पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस तथा तटरक्षक सेवाओं से है।

10. **इंजीनियरिंग :** सेवा के विनिर्दिष्ट ग्रेड (जीओएस) को पूरा करने के लिए नेटवर्क संसाधन प्रदान करने की दृष्टि से परिमापीय नियमों का तकनीकी अनुप्रयोग और उसके परिणाम।

11. **" लाइसेंस " :** लाइसेंस से आशय भारतीय तार अधिनियम की धारा 4 और भारतीय बेतार अधिनियम 1933 के तहत प्रदान किए गए अथवा इनके अधीन प्रदान किए जाने का प्रभाव रखने वाले लाइसेंस से है।

12. **" लाइसेंसधारक" :** एक ऐसी पंजीकृत भारतीय कंपनी जिसे विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर पीएमआरटीएस सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

13. **"लाइसेंस प्रदाता" :** जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, लाइसेंस प्रदाता का अर्थ ऐसे किसी प्राधिकृत व्यक्ति के मार्फत कार्यरत राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 और भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1933 के तहत लाइसेंस प्रदान किया है।

14. **संदेश** से आशय ऐसी किसी बात से है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के उप खंड/पैरा(3) के तहत आती है।

15. **"मोबाइल स्टेशन"** से आशय मोबाइल सेवा में ऐसी किसी स्टेशन से है जिसे चालू रहने के दौरान अथवा अनिर्दिष्ट प्वाइंटों पर रुकने के दौरान उपयोग के लिए नियत किया गया है। लाइसेंस करार में जहां कहीं भी मोबाइल स्टेशन अथवा मोबाइल हैंडसैट/टर्मिनल अथवा यूजर मैनुअल का प्रयोग किया गया है उनको एक-दूसरे के स्थान पर रखा जा सकता है।

15. **एमटीएनएल** से आशय महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से है।

16. **"प्रचालक"** से आशय उस व्यक्ति से है जिसे किसी संगत कनेक्टेबल प्रणाली को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया हो।

17. **" पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क"** (पीएसटीएन) का अर्थ एक फिक्स्ड विनिर्दिष्ट स्विच्ड पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क आम जनता के लिए एक द्वि-मार्गीय स्विच्ड दूरसंचार सेवा है।

18. **" पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन) "** का अर्थ स्थल आधारित मोबाइल नेटवर्क है। उदाहरण स्वरूप सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा का प्रचालन लाइसेंस प्रदाता से गैर-विशिष्ट आधार पर प्राप्त लाइसेंस के तहत देश के भीतर किया जा रहा है।

19. **" सेवा की गुणवत्ता" :** सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन सेवा की श्रेणी, गलत प्रोसेसिंग के कारण कॉलों की क्षति, बिट मूल दर या प्रत्युतर समय संबंधी पर्यवेक्षणीय उपायों के आधार पर किया जाता है और इसके अंतर्गत सेवित ग्राहक प्रति इकाई जनसख्या दोषों की संख्या की स्वीकार्य श्रेणी मीन टाईम टू रेस्टोर (एमटीटीआर), एमटीटीआर से परे आगे ले जाए गए दोषों तथा उनके संतोषजनक निपटान को भी शामिल किया जाता है।

20. **"सेवा क्षेत्र"** का अर्थ ऐसी भौगेलिक सीमाओं से घिरा विनिर्दिष्ट प्रादेशिक दूरसंचार सर्किल है जिसके भीतर लाइसेंसधारक को पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा प्रदान करने और करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

इस लाइसेंस करार हेतु सेवा क्षेत्र को इसके साथ संलग्न अनुसूची-। मे विशिष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है।

21. सेवाएं अथवा सेवा से आशय पब्लिक मोबाइल ट्रंक सेवा से हैं जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है

(i) एक ऐसी दो तरफा लैंड मोबाइल सेवा जिसमें प्रयोक्ता प्रयुक्त की गई प्रणाली को आबंटित किसी नामोद्दिष्ट फ्रीक्वेंसी बैंड में किसी पूल में से रेडियो फ्रीक्वेंसियों के पेयर के माध्यम से आपस में एक-दूसरे से बात करते हैं और

(ii) फ्रीक्वेंसियों के पेयर का आबंटन कॉल का अनुरोध करने पर किया जाता है और कॉल पूरी हो जाने पूल को वापस कर दिया जाता है और

(iii) बातचीत सामान्यतः रिपीटर स्टेशन (इसे बेस स्टेशन भी कहते हैं) के माध्यम से होती है। प्रणाली द्वारा प्रयोक्ता को एक बार चैनल (फ्रीक्वेंसियों का पेयर) आबंटित कर दिए जाने पर कोई अन्य व्यक्ति बातचीत के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

22. **"सिम कार्ड"** उपभोक्ता पहचान माड्यूल (सिम) कार्ड जिसे किसी मोबाइल स्टेशन में फिट किया जाता है जिसके पश्चात मोबाइल स्टेशन को टेलीफोन काल करने या रिसीव करने के लिए एक्टिवेट किया जा सकता है।

23. **"ग्राहक" :** ग्राहक से आशय कोई व्यक्ति या कोई विधिक प्रतिष्ठान है जो लाइसेंसधारक से पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा की सुविधा प्राप्त करता है।

24. **"टेलीफोन"** का अर्थ दूरसंचार उपकरण की कोई मद है जो प्रयोज्य प्रणाली से जोड़े जाने पर उस प्रणाली द्वारा भेजे गए या भेजे जाने वाले दो मार्गीय स्पीच को साथ-साथ अबाधित रुप से संप्रेषित और रिसीव, करने में जैसा भी मामला हो, सक्षम हो।

25. **"टैरिफ"** का अर्थ दरों और संबंधित दशाओं सहित, जिसमें संदेशों को भारत के बाहर किसी देश को ट्रांसमीट किया जा सकता है, दरें और संबंधित शर्ते जिसमें भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकती है जमा राशि, संस्थापन शुल्क, किराया, निःशुल्क कॉलें, उपयोग प्रभार और कोई अन्य संबंधित शुल्क या सेवा प्रभार है। टैरिफ शब्द का अर्थ वहीं होगा जो ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दूरसंचार प्रशुल्क आदेशों में निर्धारित किया गया हो।

26. **"ट्राई"** का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत गठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है।

27. प्रयोक्ता टर्मिनल (यूटी) अथवा मोबाइल टर्मिनल (एमटी), जिसे हैंडसेट अथवा मोबाइल स्टेशन भी कहा जाता है, से आशय लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की जा रही पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा की सुविधा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त उपकरण से है।

28. **"वीएसएनएल"** का अर्थ विदेश संचार निगम लिमिटेड है।

29. **" डब्ल्यूपीसी "** का अर्थ संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध है।